स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण - 2022-2023

वित्तीय विवरण 2022-2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां एवं प्रबंधन का उत्तर

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
परिसंपत्ति					
गैर-चालू परिसंपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		6,182.61		6,343.47
(ख) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकारी	2		404.53		411.72
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	2		0.54		0.25
(घ) पूंजीगत कार्य–प्रगति	3		13,990.63		9,447.39
(ङ) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	25.9		14.80	
(ii) ऋण	5	32.00		36.12	
(iii) अन्य	6	3.70	61.60	0.00	50.92
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7		818.54		836.29
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8		17.56		43.21
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		2,097.80		2,042.24
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंट्री	10		78.80		40.94
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	695.92		723.72	
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	12	93.65		87.77	
(iii) ऋण	13	8.97		9.59	
(iv) अग्रिम	14	8.47		8.89	
(v) अन्य	15	506.65	1,313.66	849.21	1,679.18
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	16		93.51		60.82
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	17		69.32		42.78
विनियामक आस्थिगत खाता डेबिट शेष	18		133.42		98.69
कुल			**25,262.52**		**21,097.90**
इक्विटी और देयता					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,762.90		6,640.27
कुल इक्विटी			**10,428.78**		**10,306.15**
गैर-चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	10,289.09		6,653.98	
(ii) पट्टा देयताएं	22	35.73		29.99	
(iii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	365.49	10,690.31	162.40	6,846.37
(ख) अन्य गैर–चालू देयताएं	24		807.50		816.23

राशि ₹ करोड़ में

(ग) प्रावधान	25		170.98		176.46
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	1,334.47		1,352.73	
(ii) पट्टा देयताएं	27	3.39		4.17	
(iii) व्यापार देय					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		2.35		0.60	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		42.66		27.34	
(iii) अन्य	28	824.44	2,207.31	616.44	2,001.28
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		97.29		87.59
(ग) प्रावधान	30		353.07		348.62
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		9.82		0.00
विनियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष	32		497.46		515.20
कुल			**25,262.52**		**21,097.90**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 तक लेखाओं का अभिन्न अंग है					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
आय					
सतत प्रचालन से राजस्व	33		1,974.30		1,921.49
अन्य आय	34		29.35		305.85
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		10.47		16.24	
घटाएंरू सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	10.47	0.00	16.24	0.00
कुल आय			**2,003.65**		**2,227.34**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		336.74		354.11
वित्त लागत	36		181.37		134.11
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		273.90		302.65
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		428.20		287.06
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और पुर्जों के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,220.21**		**1,077.93**
विनियामक आस्थिगत खाता शेष, अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ			**783.44**		**1,149.41**
अपवादात्मक मद– (आय)/व्यय– निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**783.44**		**1,149.41**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		136.55		189.34
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/देयता			17.10		35.57
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ			**629.79**		**924.50**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय/(व्यय)– कर का निवल	40		43.30		(29.72)
I सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ			**673.09**		**894.78**
II अन्य व्यापक आय					
(I) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		(1.87)		1.59
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आस्थगित कर– आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			(0.65)		0.55
अन्य व्यापक आय			**(2.52)**		**2.14**
कुल व्यापक आय (I+II)			**670.57**		**896.92**
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
मूल (₹)			183.61		244.08

राशि ₹ करोड़ में

तनुकृत (₹) प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन को छोड़कर)			183.61		244.08
मूल (₹) तनुकृत (₹) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी टिप्पणी 1 से 43, लेखाओं का अभिन्न अंग है	1 42 43		171.80 171.80		252.19 252.19

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कमी को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अपवादात्मक मदों और कर पूर्व लाभ		**783.44**		**1,149.41**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
मूल्यह्रास	273.90		302.65	
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	10.47		16.24	
प्रावधान	-		-	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(17.70)		(225.46)	
वित्तीय लागत	181.37		134.11	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	1.06		0.33	
बैंक जमा पर ब्याज	(0.73)		(0.34)	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(1.87)		1.59	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	(43.30)		29.72	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.17)	386.43	6.29	257.53
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,169.87**		**1,406.94**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
माल सूची	(37.86)		(6.00)	
व्यापार प्राप्तियां (बिल न किए गए राजस्व सहित)	377.70		278.29	
अन्य परिसंपत्तियां	(39.60)		13.65	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(2.30)		(8.08)	
माइनोरिटी ब्याज	-		-	
व्यापार देय और देयताएं	459.41		290.15	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(1.03)		(6.92)	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	43.3	799.62	(29.72)	531.37
प्रचालन गतिविधियों से कर-पूर्व नकदी प्रवाह		1,969.49		1,938.31
कारपोरेट कर		(136.55)		(189.34)
प्रचालन से निवल नकद (क)		**1,832.94**		**1,748.97**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन :-				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी	(4,659.85)		(3,134.42)	
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(1.06)		(0.33)	
पूंजी अग्रिम	(57.01)		(136.52)	
बैंक जमा पर ब्याज	0.73		0.34	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-		-	
सहायक कंपनी में निवेश	(11.10)		(7.40)	

राशि ₹ करोड़ में

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,728.29)**		**(3,278.33)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	-		-	
उधार – गैर चालू	3,635.11		1,639.76	
उधार– चालू	(40.49)		(806.88)	
पट्टा देयता	(7.90)		(7.33)	
ब्याज और वित्त प्रभार	(181.37)		(134.11)	
अनुदान	-		-	
विलंबित भुगतान अधिभार	21.59		282.71	
लाभांश और लाभांश पर कर	(547.94)		(508.20)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**2,879.00**		**465.95**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(16.35)**		**(1,063.41)**
ङ. आरम्भिक नकद और नकद समतुल्य		**(838.33)**		**225.08**
च. अंतिम नकद और नकद समकक्ष (घ+ङ)		**(854.68)**		**(838.33)**

टिप्पणी:

1. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्दर्शित किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्षों का समाधान टिप्पणी संख्या 43.26 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		**0.00**
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी-

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आ. रक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथशेष (I)		**0.00**	**6,527.77**	**128.00**	**(15.50)**	**6,640.27**	**0.00**	**6,640.27**
अवधि के लिए लाभ			673.09			673.09	0.00	673.09
अन्य व्यापक आय					(2.52)	(2.52)		(2.52)
कुल व्यापक आय			673.09		(2.52)	670.57	0.00	670.57

विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आ. रक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			547.94			547.94		547.94
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**125.15**			**122.63**		**122.63**
डिबेंचर मोचन आरक्षिति में/से अंतरण/ समायोजन (III)			(58.50)			(58.50)		(58.50)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				58.50		58.50		58.50
अंत शेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,594.42**	**186.50**	**(18.02)**	**6,762.90**	**0.00**	**6,762.90**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथ शेष (I)	**0.00**	**6,189.69**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.55**	**0.00**	**6,251.55**
वर्ष के लिए लाभ		894.78			894.78	0.00	894.78
अन्य व्यापक आय				2.14	2.14		2.14
कुल व्यापक आय		**894.78**		**2.14**	**896.92**	**0.00**	**896.92**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान						0.00	0.00
लाभांश		508.20			508.20		508.2
लाभांश पर कर		0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)		**386.58**			**388.72**		**388.72**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती में अंतरण (III)		(48.50)			(48.50)		(48.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग) (IV)			(48.50)		48.50		48.50
अंत शेष (I+II+III+IV+V)	**0.00**	**6,527.77**	**128.00**	**(15.50)**	**6,640.27**	**0.00**	**6,640.27**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

टिप्पणी संख्या-1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन : यू45203 यूआर 1988 जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है: भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 15.05.2023 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में निहित सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं।

जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. कोयला खानों के विकास पर व्यय

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगाः

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को खनन संपत्ति के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान शीर्ष के तहत श्स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

4.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में

मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देयताओं अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 प्रारंभिक मान्यता और मापः सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत

को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **अनुवर्ती माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **सहायक कंपनी में निवेश:** सहायक कंपनियो में इक्विटी के निवेश को लागत रहित हानि में लेखाकिंत किया जाता है, यदि कोई हो ।

8.8 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल-सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देयताओं से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 अनुवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देयताओं को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देयता को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देयता का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

12.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदानध्सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

14. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों

के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

14.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

14.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

14.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

14.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

14.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

14.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

14.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विक्टी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

15.5 आर एंड डी पत व्यय कंपनी के पूर्व अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार किए जाते हैं।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

15.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

16. कर्मचारियों के हितलाभ

16.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देयता निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

16.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देयता, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

16.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

17. ऋण लागत

17.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

17.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना

वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

18. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देयता के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25% वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है ।

18.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25: वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

18.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

18.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100: मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

18.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

18.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

18.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

18.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिलाभ के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती।

क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 **वर्तमान आयकर -** आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 **आस्थगित कर**

21.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देयताओं में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

22.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देयताओं में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद

विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देयता निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देयता को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देयताओं के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

24. विनियामक आस्थगित खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय / आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित ' लेखा शेष ' के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

24.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूलयांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

25. प्रति शेयर आय

25.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

26. लाभांश

26.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

27. प्रचालन खंड

27.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

28. विविध

28.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों ।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 अनुसार
क- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	43.79	7.15	-	50.94	-	-	-	-	50.94	43.79
2. जलमग्न भूमि	1,723.35	63.52	(0.02)	1,786.85	747.87	40.06	-	787.93	998.92	975.48
3. भवन	1,111.58	17.78	(1.20)	1,128.16	358.75	35.84	(0.51)	394.08	734.08	752.83
4. अस्थायी भवन ढांचे	26.55	1.88	-	28.43	26.55	1.88	-	28.43	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया ड्रनेज, सिवरेज	190.69	9.84	-	200.53	59.17	6.68	-	65.85	134.68	131.52
6 ड्रनेज, सीवरेज व्यवस्था तथा जलापूर्ति	26.89	3.98	-	30.87	11.3	0.87	-	12.17	18.70	15.59
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	17.43	1.06	-	18.49	5.98	7.04
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,433.11	4.62	(2.28)	3,435.45	1,700.13	79.06	-	1,779.19	1,656.26	1,732.98
9. ईडीपी मशीनें	22.94	5.60	(1.31)	27.23	15.54	3.23	(1.13)	17.64	9.59	7.40
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.56	0.25	-	46.81	12.81	1.13	-	13.94	32.87	33.75
11. पारेषण लाइनें	32.20	0.47	-	32.67	18.81	1.35	-	20.16	12.51	13.39
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	74.61	10.55	(0.51)	84.65	56.20	4.23	(0.24)	60.19	24.46	18.41
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	38.40	7.41	(0.36)	45.45	21.56	2.69	(0.07)	24.18	21.27	16.84
14. वाहन	23.74	4.51	(0.23)	28.02	13.49	1.91	(0.16)	15.24	12.78	10.25
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.67	0.07	-	0.74	0.48	0.55
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	(0.62)	5,190.00	3,273.88	104.62	-	3,378.50	1,811.50	1,916.74
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.21	-	-	1,606.21	939.3	9.32	-	948.62	657.59	666.91
उप योग	**13,616.93**	**137.56**	**(6.53)**	**13,747.96**	**7,273.46**	**294.00**	**(2.11)**	**7,565.35**	**6,182.61**	**6,343.47**
पिछली अवधि के आंकड़े	**13,507.73**	**113.91**	**(4.71)**	**13,616.93**	**6,945.88**	**329.07**	**(1.49)**	**7,273.46**	**6,343.47**	**6,561.85**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.18	0.51	-	5.69	4.93	0.22	-	5.15	0.54	0.25

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 अनुसार
उप योग	**5.18**	**0.51**	**-**	**5.69**	**4.93**	**0.22**	**-**	**5.15**	**0.54**	**0.25**
पिछली अवधि के आंकड़े	**5.10**	**0.08**	**-**	**5.18**	**4.74**	**0.19**	**-**	**4.93**	**0.25**	**0.36**
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	384.03	0.17	(0.22)	383.98	40.47	14.01	(0.22)	54.26	329.72	343.56
2. उपयोग का अधिकार – कोयला आधारित भूमि	60.6	11.41	-	72.01	1.04	2.59	-	3.63	68.38	59.56
3. उपयोग का अधिकार – भवन	9.07	0.57	(0.15)	9.49	1.05	2.28	(0.15)	3.18	6.31	8.02
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	8.72	0.21	(3.78)	5.15	8.14	0.67	(3.78)	5.03	0.12	0.58
उप योग	**462.42**	**12.36**	**(4.15)**	**470.63**	**50.70**	**19.55**	**(4.15)**	**66.10**	**404.53**	**411.72**
पिछली अवधि के आंकड़े	**445.81**	**69.15**	**-52.54**	**462.42**	**35.31**	**18.49**	**(3.10)**	**50.70**	**411.72**	**410.50**

मूल्यह्रास का विवरण	**चालू वर्ष**		**गत वर्ष**	
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास	29.40		28.86	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास	273.9		302.65	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास –उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	10.47	313.77	16.24	347.75
वर्ष के दौरान 1500.00 रूपये से अधिक परंतु 5000.00 रूपये से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया	0.36		0.14	

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि को 01/– रुपए की सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौ. रान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 अनुसार
क- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	39.83	3.96	-	43.79	-	-	-	-	43.79	39.83
2. जलमग्न भूमि	1,698.23	25.13	(0.01)	1,723.35	708.48	39.39	-	747.87	975.48	989.75
3. भवन	1,069.34	43.38	(1.14)	1,111.58	321.50	37.25	-	358.75	752.83	747.84
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.64	1.99	(0.08)	26.55	24.50	2.05	-	26.55	-	0.14
5. सड़क, पुल और पुलिया	186.68	4.01	-	190.69	51.71	7.46	-	59.17	131.52	134.97
6 ड्रेनेज, सिवरेज तथा जलापूर्ति	22.67	4.22	-	26.89	10.24	1.06	-	11.30	15.59	12.43
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	16.10	1.33	-	17.43	7.04	8.37
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,418.64	14.47	-	3,433.11	1,607.83	92.30	-	1,700.13	1,732.98	1,810.81
9. ईडीपी मशीनें	19.20	4.43	(0.69)	22.94	13.46	2.67	(0.59)	15.54	7.40	5.74
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.55	1.21	(1.20)	46.56	11.55	1.26	-	12.81	33.75	35.00
11. पारेषण लाइनें	32.21	-	(0.01)	32.20	17.44	1.37	-	18.81	13.39	14.77
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	69.86	4.84	(0.09)	74.61	52.30	3.94	(0.04)	56.20	18.41	17.56
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	34.05	4.61	(0.26)	38.40	19.37	2.38	(0.19)	21.56	16.84	14.68
14. वाहन	23.32	1.54	(1.12)	23.74	12.49	1.67	(0.67)	13.49	10.25	10.83
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.59	0.08	-	0.67	0.55	0.63
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	-	5,190.62	3,168.59	105.29	-	3,273.88	1,916.74	2,022.03
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	0.12	(0.11)	1,606.21	909.73	29.57	-	939.30	666.91	696.47
उप योग	**13,507.73**	**113.91**	**(4.71)**	**13,616.93**	**6,945.88**	**329.07**	**(1.49)**	**7,273.46**	**6,343.47**	**6,561.85**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.10	0.08	-	5.18	4.74	0.19	-	4.93	0.25	0.36
उप योग	**5.10**	**0.08**	**-**	**5.18**	**4.74**	**0.19**	**-**	**4.93**	**0.25**	**0.36**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौ. रान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 के अनुसार	01-अप्रैल-2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 अनुसार
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	433.05	0.02	(49.04)	384.03	28.22	12.25	-	40.47	343.56	404.83
2. उपयोग का अधिकार – कोयला आधारित भूमि	-	60.6	-	60.60	-	1.04	-	1.04	59.56	-
3. उपयोग का अधिकार – भवन	3.99	8.43	(3.35)	9.07	2.40	1.59	(2.94)	1.05	8.02	1.59
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	8.77	0.10	(0.15)	8.72	4.69	3.61	(0.16)	8.14	0.58	4.08
उप योग	**445.81**	**69.15**	**(52.54)**	**462.42**	**35.31**	**18.49**	**(3.10)**	**50.70**	**411.72**	**410.50**
मूल्यह्रास का विवरण					**गत वर्ष**		**-**			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					28.86		23.95			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					302.65		317.33			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास – उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					16.24	347.75	18.80	360.08		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया					0.14		0.16			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि को 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी:-3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण			31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए			
	टिप्पणी संख्या	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान वृद्धि	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान समायोजन	01-अप्रैल-2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन और अन्य सिविल कार्य		123.30	52.81	(0.13)	(19.24)	156.74
सड़कें, पुल और पुलिया		222.33	194.11	(0.07)	(9.84)	406.53
जल आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी		23.01	140.39	-	(3.80)	159.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		4,441.52	2,979.52	-	(0.30)	7,420.74
हाइड्रोलिक वर्क्स, डैम, स्पिलवे, वाटर चौनल्स, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक वक्स		3,838.01	923.82	(2.46)	-	4,759.37
वनीकरण जलग्रहण क्षेत्र		106.77	1.89	-	-	108.66
विद्युत प्रतिष्ठान और उप–स्टेशन उपकरण		82.11	41.00	-	(0.47)	122.64
परियोजना निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य व्यय		233.83	176.99	(0.77)	0.00	410.05
कोयला खदान विकास		218.51	71.37	(35.75)	0.00	254.13
अन्य		1.67	2.07	(0.08)	(1.75)	1.91
लंबित आवंटन व्यय						
सर्वेक्षण और विकास व्यय		77.22	-	-	-	77.22
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	2.70	314.98			317.68
घटाएं: निर्माण के दौरान आबंटित / पी एंड एल में प्रभारित व्यय	32.1		316.07			316.07
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		76.41	94.49	-	(59.47)	111.43
कुल		**9,447.39**	**4,677.37**	**(39.26)**	**(94.87)**	**13,990.63**
पिछली अवधि के आंकड़े		**6,414.30**	**3,136.01**	**(4.92)**	**(98.00)**	**9,447.39**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि के मूल्य को शामिल किया गया है क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, कोई हानि नहीं हुई है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के तहत किया गया है।

3.3 अतिदेय परियोजनाओं के पूरा होने का समय या लागत में वृद्धि टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत प्रकट किया गया है।

टिप्पणी:-4

गैर चालू परिसंपत्तियां - सहायक कंपनी में निवेश

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी में निवेश					
टुस्को			25.90		14.80
कुल			**25.90**		**14.80**

टिप्पणी:- 5

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		12.56		14.82	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		7.80		8.82	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		18.47		21.01	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		1.87		1.63	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**40.70**		**46.28**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		6.86		8.17	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.88	31.96	2.03	36.08
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.01		0.03	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.03		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.04**		**0.05**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
उप-योग			**32.00**		36.12
घटाएं:– अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुलयोग - ऋण			**32.50**		**36.12**
टिप्पणी :– निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.03	
ब्याज		0.03		0.02	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कुलयोग		**0.04**		**0.05**	
घटा: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
टिप्पणी :- अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.12		0.16	
ब्याज		0.03		0.02	
कुलयोग		**0.15**		**0.18**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.02	0.13	0.03	0.15

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

5.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी:- 6

गैर चालू- वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए सहायक कंपनी में शेयर आवेदन धनराशि					
टुस्को			3.70		0.00
कुल			**3.70**		**0.00**

टिप्पणी : 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			818.54		836.29
कुल			**818.54**		**836.29**

टिप्पणी : 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			17.56		43.21
कुल			**17.56**		**43.21**

टिप्पणी : 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			8.75		10.20
उप योग			**8.75**		**10.20**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (₹ 853.96 रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		702.78		823.75	
ii) विभिन्न सरकारी एजेंसियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भुगतान		437.95		455.58	
iii) अन्य		760.40		654.06	
iv) अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		310.00	2,211.13	221.52	2,154.91
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			122.08		122.87
उप योग- पूंजी अग्रिम			**2,089.05**		**2,032.04**
कुल			**2,097.80**		**2,042.24**

टिप्पणी : 10

इन्वेंट्री

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		0.98		1.62	
यांत्रिक एवं विद्युत स्टोर एवं पुर्जे		32.06		33.63	
कोल इन्वेंट्री		40.18		0.00	
अन्य (स्टोर और पुर्जे सहित)		5.48		3.77	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.10		0.00	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	78.80	1.92	40.94
घटाएं: अन्य स्टोरों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**78.80**		**40.94**

टिप्पणी : 11

व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		131.79		229.46	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	131.79	0.00	229.46
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		329.67		321.69	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	329.67	0.00	321.69
(iii) **अबिलीकृत देनदार**			234.46		172.57
कुल			**695.92**		**723.72**
11.1 व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण टिप्पणी संख्या 43.9 के तहत प्रदर्शित किया गया है					

टिप्पणी : 12

नकदी और नकदी समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद समतुल्य					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			93.65		**87.76**
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट			0.00		0.01
कुल			**93.65**		**87.77**

टिप्पणी : 13

चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ-ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		5.42		6.18	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.94		3.16	
कर्मचारियों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		2.12		1.99	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.07	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**10.56**		**11.4**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.10		1.28	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.43	9.03	0.47	9.65
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप-कुल			**9.05**		**9.67**
घटाएं:– अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**8.97**		**9.59**
टिप्पणी :- निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी :- अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.04		0.04	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.04**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.00	0.04

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी : 14

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.08		6.44	
अन्यों को		2.39	8.47	2.45	8.89
कुल			**8.47**		**8.89**

14.1 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी : 15

चालू - वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
जमा					
प्रतिभूति जमा राशि		24.18		15.19	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		482.46		480.16	
अन्य जमा		0.01	506.65	0.07	495.42
अन्य					
संविदा परिसंपत्तियां			0.00		353.79
कुल			**506.65**		**849.21**

15.1 संविदा परिसंपत्तियों में शून्य (पिछला वर्ष 353.79 करोड़ रुपए) (वसूलनीय) 370.27 करोड़ रुपए और देय 16.48 करोड़ रुपए) की लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों का शेष शामिल है।

टिप्पणी : 16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			93.51		60.82
कुल			**93.51**		**60.82**

टिप्पणी : 17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
पूर्व–संदत्त व्यय			41.57		31.12
उपार्जित ब्याज			0.04		0.03
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.40		0.33
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.53		1.75
उप-योग			**43.54**		**33.23**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.41		0.52
खरीद के लिए			8.28		3.74
अन्य को			31.50		19.70
			40.19		**23.96**
घटाएं: वसूलियों के विविध प्रावधान			14.41		14.41
उपयोग - अन्य अग्रिम			**25.78**		**9.55**
कुल			**69.32**		**42.78**

टिप्पणी : 18

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
अथ शेष			98.69		169.72
वर्ष के दौरान निवल संचलन			34.73		(71.03)
अंत शेष			**133.42**		**98.69**
18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 133.42 करोड़ रूपये के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।					

टिप्पणी : 19

शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/- रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
1000/- रूपये प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 54.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर पर 197.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 190.84 रूपये) के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वर्ष के दौरान ₹ 350.00 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 142.24 रुपये (पिछले वर्ष 140.56 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 521.44 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी : 19.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी : 19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
अथ शेष		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
जारी किए गए		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत शेष		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2क. कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी : 19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (आरम्भ में)	%	शेयरों की संख्या (अंत में)	%	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**	

टिप्पणी : 20

अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,594.42		6,527.77
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			186.50		128.00
अन्य व्यापक आय			(18.02)		(15.50)
कुल			**6,762.90**		**6,640.27**

20.1 – नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में जी.एस.आर. 574(ई) के अनुसार कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडो के मूल्य के 10% की दर से डिबेंचर मोचन आरीक्षत का सृजंन किया गया हे जो बांडो के मोचन के प्रयोजन से मोचन वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किस्तो में होगा ।

टिप्पणी : 21

गैर -चालू- वित्तीय देयताएं - उधारियाँ

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
क. प्रतिभूत-बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला-VI					
(7.60% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		0.00
^ बांड निर्गम श्रृंखला-V					
(7.39% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला-IV					
(7.45% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
*****बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-III**					
(7.19% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
****बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-II**					
(8.75% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.44		1,574.44
***बांड निर्गम श्रृंखला-I**					
(7.59% की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड)। (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.47		622.33
कुल (क)			**5,883.69**		**5,050.40**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
ख. प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण					
****** पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) -78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)**					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			46.04		138.17
# रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी (केएचईपी के लिए)					
(यूए-जीई-पीएसयू-033-2010-3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			0.00		17.52
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए)					
पीएनबी (तीन माह की एमसीएलआर पर वर्तमान में 8.10% की ब्याज दर के साथ 30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्ष के भीतर तिमाही किश्तों पर चुकाने योग्य)			139.61		281.38
@@ बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-I)					
बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			2,375.53		800.15
@@@ बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-II)					
बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर 2 वर्ष की ऋणस्थगन अवधि के बाद पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			525.12		0.00
कुल (ख)			**3,086.30**		**1,237.22**
ग. अप्रतिभूत					
बांड निर्गम श्रृंखला - VII					
(7.88% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		0.00
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)					
$ विश्व बैंक ऋण-8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए)					
(15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक 23 वर्ष के भीतर छमाही किश्त में प्रतिदेय, ब्याज दर @एसओएफआर + परिवर्तनीय स्प्रेड अर्थात् वर्तमान में 5.31%)			1,365.72		1,001.65
कुल (ग)			**1,978.03**		**1,001.65**
कुल (क+ख+ग)			**10,948.02**		**7,289.27**
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण– प्रतिभूत			309.73		372.80
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			76.42		53.83
उधारियों पर उपार्जित किंतु अदेय ब्याज			272.78		208.66
कुल			**10,289.09**		**6,653.98**

* बांड श्रृंखला I, टिहरी एचपीपी चरण– I की चल परिसंपत्ति पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

** बांड श्रृंखला II, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*** बांड क्षृखंला III कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बॉन्ड क्षृखंला IV, V और VI , टिहरी में स्थित पंप स्टोरेज प्लांट की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

दीर्घकालिक ऋण कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

@ मध्यावधि ऋण टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए प्रतिभूत है।

@@ सावधि ऋण, कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

@@@ सावधि ऋण, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित है।

21.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

21.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी : 22

गैर चालू - वित्तीय देयताएं - पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			39.12		34.16
घटाएं: पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता– अप्रतिभूत			3.39		4.17
कुल			**35.73**		**29.99**

टिप्पणी : 23

गैर चालू वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि।		413.18		206.52	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		47.69	365.49	44.12	162.40
कुल			**365.49**		**162.40**

टिप्पणी : 24

अन्य चालू वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			182.32		189.92
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			577.49		582.19
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा /प्रतिधारण राशि			47.69		44.12
कुल			**807.5**		**816.23**

टिप्पणी : 25

गैर चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए				31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2021 तक की स्थिति के अनुसार	योग	समायोजन	उपयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित संबंधित		173.91	2.82	(8.17)	0.00	168.56
II. अन्य		2.55	0.00	0.00	(0.13	2.42
कुलयोग		**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**
पिछली अवधि के लिए आंकड़ें		**190.37**	**3.59**	**(10.75)**	**(6.75)**	**176.46**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया हैं।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : 26

चालू वित्तीय देयताएं - उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/नकद ऋण सुविधा					
** पंजाब नेशनल बैंक			848.56		650.33
***एचडीएफसी बैंक			19.98		195.92
**** बैंक ऑफ बड़ौदा			0.00		0.10
*भारतीय स्टेट बैंक			79.78		79.75
कुल (क)			**948.32**		**926.1**
ख. दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			309.73		372.80
अप्रतिभूत ^			76.42		53.83
कुल (ख)			**386.15**		**426.63**
कुल (क+ख)			**1,334.47**		**1,352.73**

कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** परियोजना स्थल पर चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और सामग्री सहित टिहरी चरण –1 की परिसंपत्ति और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों / अन्य संपत्तियों पर दूसरे शुल्क के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

***कंपनी के संयंत्र– पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर प्रभार के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की प्रतिभूति @@ के तहत टिप्पणी संख्या 21 में बताई गई है।

^ ब्याज दर के संबंध में विवरण और प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता की चुकौती की शर्तों का उल्लेख टिप्पणी –21 में किया गया है।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

26.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारों का अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.13 के तहत किया गया है ।

टिप्पणी : 27

चालू- वित्तीय देयताएं- पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			3.39		4.17
कुल			**3.39**		**4.17**

टिप्पणी : 28

चालू- वित्तीय देयताएं- अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.89		2.03	
अन्य के लिए		268.60	269.49	131.50	133.53
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		281.94		273.59	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	281.94	0.00	273.59
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		273.01		209.32	
अन्य देयताएं		0.00	273.01	0.00	209.32
कुल			**824.44**		**616.44**

टिप्पणी : 29

अन्य चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास पर अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			79.22		63.75
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		863.69		858.99	
घटाएं:–					
मूल्यह्रास की ओर समायोजन		853.22	10.47	842.75	16.24
कुल			**97.29**		**87.59**

टिप्पणी : 30

चालू प्रवधान

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

			31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए			
विवरण	टिप्पणी संख्या	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2023 के अनुसार
I. **कार्य**		24.53	29.25	0.00	(22.29)	31.49
II. **कर्मचारियों से संबंधित**		311.76	64.18	(24.25)	(57.98)	293.71
III. **अन्य**		12.33	78.48	(57.09)	(5.85)	27.87
कुल		**348.62**	**171.91**	**(81.34)**	**(86.12)**	**353.07**
पिछली अवधि के लिए आंकड़ें		**341.63**	**184.75**	**(17.74)**	**(160.02)**	**348.62**

30.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया है।
30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : 31

चालू कर देयताएं (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
आयकर					
अथशेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान वृद्धि			112.38		207.42
अवधि के दौरान समायोजन			(2.82)		(7.16)
अवधि के दौरान उपयोग			(99.74)		(200.26)
अंत शेष			**9.82**		**0.00**

टिप्पणी : 32

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक के अनुसार		31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	
अथशेष			515.20		550.22
अवधि के दौरान निवल संचलन			(17.74)		(35.02)
अंतशेष			**497.46**		**515.20**
32.क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है।					

टिप्पणी : 32.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		157.18		168.12	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		12.54		12.34	
पेंशन निधि		11.68		13.11	
उपहार		2.43		6.46	
कल्याण		5.88		5.35	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.34	190.05	0.03	205.41
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.03		0.26	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.48	1.51	0.83	1.09
दर और कर			0.77		0.01
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
ऊर्जा और ईंधन			11.02		10.15
बीमा			0.17		0.15
संचार			1.53		1.57
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		0.00		0.00	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		0.64		0.75	
अन्य		8.40	9.04	3.58	4.33
यात्रा और वाहन			3.61		1.34
वाहन किराया			9.15		6.37
सुरक्षा			10.98		9.20
प्रचार और जनसंपर्क			0.10		0.49
अन्य सामान्य व्यय			31.49		17.45
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि			0.12		0.01
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			0.61		12.84
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			0.68		0.11
ब्याज अन्य			68.04		3.08
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.00		0.29	
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.29
मूल्यह्रास	2		29.40		28.86
कुल व्यय (क)			**387.54**		**302.75**
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
कर्मचारियों से		0.64		0.74	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम– प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.34		0.03	
अन्य से		0.21	1.19	0.20	0.97
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			1.25		0.95
विविध प्राप्तियां			4.09		3.83
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.03		0.35
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			65.83		1.55
कुल प्राप्तियां (ख)			**72.43**		**7.71**
कराधान से पहले निवल व्यय			**315.11**		**295.04**
कराधान के लिए प्रावधान	**38**				
कराधान सहित निवल व्यय			**315.11**		**295.04**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		0.12		0.21
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			2.70		70.66
कुल ईडीसी			**317.69**		**365.49**
घटाएं:-					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		307.74		362.79	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं का ईडीसी, जो लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।		8.33	316.07	0.00	362.79
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेषित शेष			**1.62**		**2.70**

टिप्पणी : 33

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विद्युत बिक्री के बदले लाभार्थियों से आय		1,937.67		1,880.62	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.60	
घटाएं:					
ग्राहकों को छूट		8.98	1,936.29	6.31	1,881.91
विचलन व्यवस्थापन / संकुचन प्रभार			29.03		25.35
परामर्श आय			8.98		14.23
कुल			**1,974.30**		**1,921.49**

33.1 माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक 10.05.2022 और 13.05.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक14.09.2022 और 03.10.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। पिछले वर्ष के संबंध में इन प्रशुल्क आदेशों के प्रभाव को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व में शामिल किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को क्रमशः दिनांक 13.05.2022 और 03.10.2022 के उक्त आदेशों के आधार पर मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त माननीय सीईआरसी ने 01.01.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) में कर्मचारियों के वेतन संशोधन, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) के 61.09 करोड़ रुपए की राशि के प्रभाव की वसूली के लिए दिनांक 25.11.2022 का आदेश जारी किया है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.2 दिनांक 21.12.2022 के माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, टीएचडीसीआईएल को अगस्त, 2022 से जल खपत प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित है, इसलिए सीईआरसी विनियम, 56 के संदर्भ में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए ₹ 45.89 करोड़ और ₹ 36.12 करोड़ की राशि वसूलनीय है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 टिहरी चरण 1 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे होने के कारण, पूर्व में आस्थिगत आय के रूप में अनुमत और विचारित एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोग अवधि अर्थात् 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.4 लाभार्थियों से आय में, चालू वर्ष के लिए 57.93 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री) और 28.49 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन तथा पिछले वर्ष के लिए 33.98 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा और 25.70 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन शामिल है

टिप्पणी : 34

अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (इसमें 1175408.00 रुपए (पिछली अवधि 255756.00 रुपए) शामिल हैं)		0.73		0.34	
कर्मचारियों से		1.87		1.94	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम– प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		5.32		2.06	
अन्य		0.26	8.18	0.23	4.57
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			2.72		1.97
विविध प्राप्तियां			6.96		6.18
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			1.18		73.88
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ			0.03		0.03
विलंबित भुगतान अधिभार			17.70		225.46

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			65.79		1.74
कुल			**102.6**		**313.89**
घटाएं:					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.82		0.33
ईडीसी में अंतरित	32.1		72.43		7.71
कुल			**29.35**		**305.85**

टिप्पणी : 35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			411.10		426.49
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशधान			39.61		35.16
पेंशन निधि			32.07		38.68
उपहार			16.24		16.65
कल्याण व्यय			22.45		40.48
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			5.32		2.06
कुल			**526.79**		**559.52**
घटाएं:					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		190.05		205.41
कुल			**336.74**		**354.11**

टिप्पणी : 36

वित्त लागत

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			424.32		343.75
घरेलू ऋणों पर ब्याज			171.10		100.25
विदेशी ऋणों पर ब्याज			50.27		9.25
नकद ऋण पर ब्याज			52.54		13.50
एफईआरवी			107.48		18.47
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			0.00		0.00
ब्याज अन्य			69.12		4.62
कुल			**874.83**		**489.84**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			625.43		352.65
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			68.03		3.08
कुल			**181.37**		**134.11**

टिप्पणी : 37

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.33		0.35	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.91	2.24	1.59	1.94
दर और कर			2.80		2.05
जल उपयोग प्रभार			82.41		0.30
ऊर्जा और ईंधन			23.92		21.39
बीमा			31.42		31.07
संचार			6.02		6.05
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		66.88		55.16	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		8.56		5.95	
भवन		24.48		22.57	
अन्य		37.62	137.54	25.16	108.84
यात्रा और वाहन			7.74		3.50
वाहन किराया एवं चलाना			19.58		10.84
सुरक्षा			69.99		62.61
प्रचार और जनसंपर्क			3.84		1.52
अन्य सामान्य व्यय			74.98		49.84
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.35		0.30
परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान			1.21		0.36
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			9.30		12.84
अनुसंधान एवं विकास			2.70		3.46
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			9.86		8.06
सीएसआर और सततता विकास गतिविधियों पर व्यय			23.09		27.20
कुल			**528.26**		**352.17**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		100.06		65.11
कुल			**428.20**		**287.06**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.19 (i) के तहत किया गया है।

टिप्पणी : 38

प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
अशोध्य ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.29
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.29**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.00		0.29
कुल			**0.00**		**0.00**
38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण होता है।					

टिप्पणी : 39

कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			136.55		189.34
उप योग			**136.55**		**189.34**
कुल			**136.55**		**189.34**

टिप्पणी : 40

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			52.47		(36.01)
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(9.17)		6.29
कुल			**43.30**		**(29.72)**

टिप्पणी : 41

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(1.75)		1.80
उप-योग			**(1.75)**		**1.80**
घटाएं:-					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.12		0.21
कुल			**(1.87)**		**1.59**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन में गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल- कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पढ़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और एफपीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

42.4 लेखांकन संबंधी हालिया घोषणाएं: मानक जारी किए गए किंतु अभी तक प्रभावी नहीं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जिसमें कतिपय लेखांकन मानकों को संशोधित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं। उक्त अधिसूचना में, 10 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) नामतः इंड एएस 101, 102, 103, 107, 109, 115, 1, 8, 12 और 34 को संशोधित किया गया है और इन संशोधनों का सार निम्नानुसार हैः

1. इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

इस संशोधन में 'महत्वपूर्ण '(significant)' शब्द को 'सारवान (material)' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें संस्था को अपने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की बजाय सारवान लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है चूंकि 'सारवान' को इंड एएस में परिभाषित किया गया है और इसे हितधारकों द्वारा भली–भांति समझा जाता है। इसके साथ ही, यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि लेखांकन नीति संबंधी जानकारी सारवान है अथवा नहीं।

2. इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

संशोधनों में 'लेखांकन अनुमान में किसी परिवर्तन' की परिभाषा को 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन से लेखांकन अनुमानों में विशिष्ट परिवर्तन में सहायता करने हेतु 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा पेश की गई है। निर्दिष्ट किया गया है कि नई जानकारी या नए विकास से लेखांकन अनुमान में कोई परिवर्तन हो सकता है और यह किसी त्रुटि का सुधार नहीं है; और किसी लेखांकन अनुमान में किसी इनपुट या किसी माप तकनीक में किसी परिवर्तन के प्रभाव लेखांकन अनुमानों में परिवर्तित हो जाते हैं, जब तक कि वे पूर्व अवधि त्रुटियों के सुधार के परिणामस्वरूप न हों।

3. इंड एएस 12, आयकर

संशोधन में मान्यता में छूट के दायरे को कम किया गया है ताकि यह अब ऐसे लेन–देन पर लागू न हो जो प्रारम्भिक मान्यता पर, समान करयोग्य और कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों में वृद्धि करती हैं, उदाहरणार्थ – पट्टा और डिकमीशनिंग दायित्वों के मामले में।

4. इंड एएस 101,102, 103, 109 और 115 - संपादकीय सुधार

ये ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन है जिनमें ऐसे संदर्भों और शब्दावली आदि को अद्यतन करना शामिल होता है जिनके परिणामस्वरूप इंड एएस के सिद्धांतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों की अपेक्षाओं को समझा है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव सारवान नहीं है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	स्थिति के अनुसार	
		31.03.2023	31.03.2022
क	पूंजीगत कार्य	1446.41	1010.57
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	71.38	67.99
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1314.95	1235.32
घ	अन्य	2947.74	2823.21
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	-	-
च	विवादित कर संबंधी मामले	1.72	1.72
छ	**कुलयोग**	**5782.20**	**5138.81**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	462.35	460.06

3. ईएमडी/ एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 2.09 करोड़ रूपये तथा 3.92 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.17 करोड़ रुपये एवं 4.08 करोड़ रूपये) की एफडीआर/ सीडीआर क्रमशः ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 695.12 करोड़ रुपये (गत वर्ष 480.11 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.83 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.40 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 625.43 करोड़ रुपये और 68.03 करोड़ रूपये (गत वर्ष 352.65 करोड़ रूपये और 3.08 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 78.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 12.70 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i)टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी /वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी /वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी /वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र ,उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र ,उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार /यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	14.28	1.99	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 16 फ्लैट (गत वर्ष 18 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.04 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एच सी सी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका । ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेसर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 195.51 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2023 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैमर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला आरक्षित भंडार का निष्कर्षण आरम्भ कर दिया है। कोयला खदान के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) सीईआरसी विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद घोषित की जाएगी। समझौते के अनुसार, खदान विकासक और संचालक (एमडीओ), मैसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड, अनुमोदन खदान संवरण योजना के अनुसार भूमि पुनरूद्धार, संरचना की डिकमीशनिंग और खदान संवरण (उत्तरोत्तर और अंतिम) गतिविधियों पर वहन किए जाने वाले व्यय के दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। तदनुसार अनुमोदित खदान संवरण योजना के अनुसार आंकी गई ₹ 4.14 करोड़ की राशि को एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई है।

8. (i) दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	4,607.32	3,147.83	1,414.98	4,820.50	13,990.63
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	--	--	--	--	--
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	3,161.54	1,427.06	965.95	3,892.83	9,447.39
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	--	--	--	--	--

(ii) 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

राशि ₹ करोड़ में

परियोजना	निम्न अवधि में पूरा किया जाना है				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	850.00	298.86	-	-	1148.86
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	560.00	470.00	316.05	-	1346.05
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुासर					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.61	153.20	-	-	722.81
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	500.00	500.00	406.00	-	1406.00

9. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च) = (ग+घ+ड)
				6 माह से कम	6 माह -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –शोध्य समझा गया	634.46	234.46	247.73	20.53	41.49	72.32	0.03	17.90	634.46
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	61.46	-	-	61.46	-	-	-	-	61.46
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	695.92	234.46	247.73	81.99	41.49	72.32	0.03	17.90	695.92

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च) = (ग+घ+ङ)
				6 माह से कम	6 माह -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –शोध्य समझा गया	669.69	172.57	130.76	143.54	57.59	140.97	4.29	19.98	669.69
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	54.03	-	-	54.03	-	-	-	-	54.03
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**723.72**	**172.57**	**130.76**	**197.57**	**57.59**	**140.97**	**4.29**	**19.98**	**723.72**

10. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन-देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.35	-	-	-	2.35
(ii) अन्य	40.18	1.11	0.86	0.51	42.66
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन-देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
(ii) अन्य	25.19	1.42	0.60	0.12	27.34
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण:

राशि ₹ करोड़ में

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष ₹ करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31-03-2023	31-03-2022	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.04	व्यापार देय
नवेली डेकोर प्राइवेट लिमिटेड (AAFCN8799K)	देय	-	-	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2022-23	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक /विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	201.48	201.26	0.22	यह अंतर विचलन के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.64	0.00	3.64	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितम्बर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	199.80	199.80	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	8.41	0.04	8.37	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	262.74	262.74	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.05	0.00	6.05	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
मार्च–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	244.88	244.88	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	1.22	1.22	-	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड

: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को निगमित) और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सहायक कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेन–देन नहीं किया गया है।

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	जारी
2	श्री जे. बेहरा	निदेशक (वित्त)**	जारी
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
2	श्री ए. के. गौतम	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.05.2022 तक
3	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
4	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	26.04.2022 से
5	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	17.08.2022 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	जारी
2	डॉ बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	जारी
3	श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला	स्वतंत्र निदेशक	जारी
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे.बेहेरा	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	जारी
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी

(*) 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार

(**) 24.03.2023 से निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा, टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर) सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 22.11 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारों (सहायक कंपनी) के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सहायक कंपनी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	0.05	0.78
किया गया इक्विटी अंशदान (लंबित आबंटन सहित)	14.80	7.40
अन्य	0.00	2.22
सीपीएफ पेंशन आदि के सापेक्ष जमा	0.72	0.56

(ii) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2022-23	2021-22
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	46.28	29.43
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	40.26	24.04
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	5.98	4.36

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 1.91 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 2.76 करोड़ रूपये) है।

राशि ₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को मुआवजा		
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	1.65	2.40
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.26	0.36
3	सेवांत लाभ	-	-
4	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुलयोग	**1.91**	**2.76**

(iv) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	801.06	630.89
बी एच ई एल	सेवा संविदा के साथ उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	559.77	255.41
एनटीपीसी	लाभांश का भुगतान	408.20	378.59
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्शी सेवा	20.45	18.47
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	112.64	-
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों की शिफ्टिंग, परामर्श प्रभार पावर लाइन डायवर्जन	72.17	84.88
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	62.76	25.33

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत प्रभार	7.73	6.47
यू.पी. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	सुरक्षा प्रभार	4.46	3.67
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत प्रभार	0.49	0.40
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एसएलडीसी प्रभार	0.01	0.01
आरआईटीईएस	परामर्शी सेवाएं	23.81	15.48
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	10.49	11.25
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड – एनटीपीसी एवं रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति आपूर्ति	3.88	0.94
आईओसीएल	ईधन की खरीद	2.74	2.37
बीपीसीएल	ईधन की खरीद	0.91	0.62
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	0.60	12.14
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	अभिदान शुल्क	0.02	0.01
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीआई)	परामर्शिता	0.11	5.61
अन्य	विविध	5.40	2.34

(v) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
टुस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख वसूलनीय राशि		
–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.29	0.29
–सहायक कंपनी	2.07	2.11
–अन्य	0.33	शून्य
ग. देय राशि		
–रोजगार पश्चात् हितलाभ योजनाएं	19.98	16.22

(vi) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 27 – पृथक वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
टुस्को लिमिटेड (12.09.2020 को निगमित)	भारत	74%	74%

16. इंडएएस 33 – ' प्रति शेयर आय (ईपीएस)' – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	2022-23	2021-22
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रूपये)	629.79	924.50
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	673.09	894.78
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय रूपये बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं। रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 171.80 171.80	 252.19 252.19
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 183.61 183.61	 244.08 244.08
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹ 1000	₹ 1000

17. (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	145.72	183.05
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	(9.17)	6.29
कुल चालू कर व्यय (ख)	136.55	189.34

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2023 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 334.16 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2022 – 487.72 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 17.75 करोड़ रूपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 35.02 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

18. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

19. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) दिनांक 22.01.2021 को अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में किसी जारी परियोजना के क्रम में किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा, जो ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जाएगी। किसी जारी परियोजना के अलावा किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनूसची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी सांविधि के तहत अपेक्षित से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को अग्रेणीत किया जाएगा और अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली और नकदी में व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-22
i.	आरम्भिक अव्ययित / (अधिशेष) राशि	(0.97)	0.00
ii.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार व्यय की जाने वाली राशि	23.61	26.23
iii.	वर्ष के दौरान आरम्भिक अव्ययित / (अधिशेष) राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ के लिए विचारित राशि	(0.52)	0.00
iv.	वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा उपरोक्त (ii) में से व्यय किए जाने के लिए अनुमोदित राशि	23.09	26.23

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-22
v.	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	0.00	0.00
vi.	पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक व्यय को सेट–ऑफ करने बाद व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	23.09	26.23
vii.	वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	22.11	27.20
viii.	जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है	0.98	0.00
ix.	भविष्य में सेट–ऑफ किए जाने के लिए अंतिम (अधिशेष) राशि	(0.45)	(0.97)

टिप्पणी:- अनुवर्ती वर्ष में उपलब्ध सेट–ऑफ को, भावी वर्षों में इसके समायोजन में शामिल अनिश्चितताओं पर विचार करत हुए, विवेकपूर्ण मामले के रूप में किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

राशि ₹ करोड़ में

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
शून्य	शून्य	23.09	22.11	शून्य	0.98*	शून्य	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के समर्थन के लिए विभिन्न परियोजनाएं
(*) दिनांक 26.04.2023 को पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित							

(घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	22.11	0.00	22.11

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माणध अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	27.20	0.00	27.20

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सेवा–टीएचडीसी, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ–निरपेक्ष सोसायटी है, के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	2.88	6.13
2	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.34	10.09
3	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.22	0.25
4	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.62	1.68

5	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.72	2.21
6	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	-	0.10
7	खेलकूद का संवर्धन	0.06	0.32
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	4.00	4.05
9	अनुसूचित जाति का कल्याण	-	0.00
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2.38	1.03
11	आपदाएं	-	0.60
12	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.89	0.74
	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (1 से 12)	22.11	27.20
	जोड़ें: अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि	0.98	-
	स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित सीएसआर व्यय	23.09	27.20
	अधिशेष राशि के लिए अंत शेष	0.45	0.97

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 2.70 करोड़ रूपये (राजस्व– 2.70 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 3.46 करोड़ रूपये) (राजस्व– 3.46 करोड़ रूपये) व्यय किए हैं ।

20. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2023 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

राशि ₹ करोड़ में

	2022-23	2021-22
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	3.24	2.63
ii) उस पर ब्याज	-	
ख एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि		
ग देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।		
घ प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका		
ड. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।		

21. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1.	1 नीति संख्या 8.7 शामिल करते हुए नीति संख्या 8 – **वित्तीय परिसंपत्तियां** – को संशोधित किया गया है	नीति को प्रकटीकरण में सुधार करने के लिए संशोधित किया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

22. एएस 116 - 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	34.16	13.25
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	9.52	25.35
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	3.34	2.89
–पट्टा देयताओं का भुगतान	7.90	7.33
अंत शेष	39.12	34.16
चालू	3.39	4.17
गैर–चालू	35.73	29.99

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

राशि ₹ करोड़ में

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3 माह या कम	1.10	1.65
3–12 माह	5.25	4.98
1–2 वर्ष	7.77	7.88
2–5 वर्ष	10.74	10.52
5 वर्ष से अधिक	57.38	40.80
पट्टा देयताएं	82.24	65.82

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है;

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	14.93	17.27
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	3.34	2.89
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.23	1.94

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है;

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	7.90	7.33
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.23	1.94

23. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना:-

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों के वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 10.25 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 25.56 करोड़ रुपए) अधिक हो गया और इसे बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकालों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वस्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देयता, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है

और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 9.65 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.91 करोड़ रूपये) अधिक हो गया है और इसे बहियों में दर्ज किया गया है।

(V) अन्य (असबाब/ एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2023 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी -1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमानः

विवरण	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	7.40%	7.00%	6.75%	6.75%	7.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोजर) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि-वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देयता बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देयता भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम- यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिलाभ होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर- उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देयता बढ़ा सकती हैं।

(घ) मृत्यु और विकलांगता- मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड) आहरण- वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी - 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य बैगेज भत्ता/ दीर्घ सेवा एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.84}	6.69 {5.89}	1.00 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					
वर्तमान सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
लाभ का भुगतान	(19.85) {(20.49)}	(20.33) {(15.59)}	(5.96) {(6.34)}	(7.56) {(4.71)}	(1.79) {(2.34)}
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	8.52 {4.42}	(0.35) {0.22}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}

सारणी -3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य- बैगेज भत्ता/ दीर्ध सेवा एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	96.15 {89.61}	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	96.15 {89.61}	लागू नहीं
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}
मान्य न हुए बीमांकिक लाभ/हानि				(7.01) {(3.29)}	
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}

सारणी- 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य- बैगेज भत्ता/ दीर्ध सेवा एवार्ड/एफबीएस
चालू सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
सेवापरांत लागत	-	-	-	-	0.00 {0.00}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.83}	- {0.00}	1.00 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	7.01 {3.29}	(0.35) {0.22}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	16.13 {16.77}	28.72 {26.28}	4.46 {8.85}	2.64 {2.61}	2.20 {2.09}

सारणी -5 संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि ₹ करोड़ में

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)		पीआरएमवी		अन्य	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.09)	(4.62)	(2.36)	(2.27)	(2.72)	(3.00)	(13.14)	(12.32)	(0.35)	(0.36)
0.50% की धटोत्तरी	4.30	4.86	2.52	2.41	2.86	3.14	14.10	12.54	0.37	0.37
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	0.81	1.02	2.53	2.41	2.87	3.14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की धटोत्तरी	(0.87)	(1.09)	(2.39)	(2.29)	(2.76)	(3.02)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14.36	12.62	0.15	0.16
0.50% की धटोत्तरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(13.71)	(12.38)	(0.14)	(0.16)

अन्य प्रकटीकरण:-

राशि ₹ करोड़ में

उपदान	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	174.76	183.38	189.99	191.01	178.93
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.13	16.77	17.97	19.68	19.35

अर्जित छुट्टी (ई एल)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	85.27	76.88	66.18	56.07	43.04
बीमांकिक (लाभ/हानि)	5.34	8.15	6.26	11.60	11.38
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	28.72	26.28	23.42	27.71	25.85

बीमारी (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	117.13	118.64	116.13	109.06	98.83
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(8.36)	(3.21)	(0.88)	0.83	1.78
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	4.46	8.85	11.18	13.00	12.79

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.80	95.51	87.30	79.85	70.02
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	7.01	3.29	1.34	2.76	3.85
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.64	2.61	2.95	3.07	6.94

अन्य असबाब भत्ता/दीर्ध सेवा अवार्ड/एफबीएस	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.33	14.26	14.29	12.63	12.43
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.20	2.09	3.19	2.14	5.16

24. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

25. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित) **राशि ₹ करोड़ में**

क्रामांक	विवरण	2022-23	2021-22
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	--	--
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	--	--
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.12	0.07
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पिछले वर्ष के संबंध में शून्य रूपये (पिछले वर्ष से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

26. (क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है: **राशि ₹ करोड़ में**

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023	31.03.2022
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	93.65	87.77
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष एम टी एल सहित	26	948.33	926.10
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(854.68)	(838.33)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे | ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

राशि ₹ करोड़ में

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2022-23	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	-	3665.88	-	
गैर–चालू उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	6653.98	-	10289.09	3635.11	**वृद्धि- बांड** – ₹ 1400.00 करोड़, सावधि ऋण (बीओबी) ₹ 2225.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹ 384.24 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (बीओबी) – ₹ 125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹ 139.58 करोड़, सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, विश्व बैंक – ₹ 64.41 करोड़
उधारियां– चालू	426.63	-	386.14	(40.49)	**वृद्धि-**, विश्व बैंक (निवल) ₹ 22.58 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी) – ₹ 17.51 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) – ₹ 0.42 करोड़
पट्टा देयताएं	-	(7.90)	-	(7.90)	पट्टा देयता का भुगतान
भुगतान की गई वित्तीय लागत घटा पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी	-	874.83 (693.46)	-	(181.37)	लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित
विलंबित भुगतान अधिभार	-	21.59	-	21.59	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश	-	(547.94)	-	(547.94)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह	-		-	2879.00	

27. अनुपात

क्रमांक	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण*
				31.03.2023	31.03.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.58	0.75	(22.07%)	
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	1.11	0.78	43.47%	
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ + ऋण पर ब्याज + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + अपवादात्मक मद)	(ऋण पर ब्याज + पट्टा भुगतान + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)	1.84	1.98	(7.03%)	
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	6.49%	8.85%	(26.63%)	कर पश्चात् लाभ में कमी के कारण
ङ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	32.98	50.65	(34.89%)	कोल इन्वेंट्री के नामे इन्वेंट्री में कमी कारण
च	ऋण–टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियां	2.78	2.04	36.48%	व्यापार प्राप्य में कमी के कारण
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	2.57	2.19	17.24%	
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील + पूंजी लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	(2.72)	(10.27)	73.52%	कार्यशील पूंजी में कमी के कारण
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	कुल बिक्री	34.09%	46.57%	(26.79%)	कर पश्चात् लाभ में कमी कारण
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	ब्याज और कर–पूर्व आय	नियोजित पूंजी	4.54%	7.34%	(38.13%)	ईबीआईटी में कमी और नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण
ट	निवेश पर प्रतिलाभ	निवेश से आय	निवेश	(0.81%)	(8.41%)	90.34%	सहायक कंपनी की हानि में कमी के कारण

(*) पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक किसी भी परिवर्तन के लिए भिन्नता के कारण आवश्यक है।

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहेरा)**	**(आर.के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 026692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी
ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः- 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट में संसूचित किया जाए ।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन क्रिया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सी ई आर सी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
2	**आकास्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आक्स्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उन में मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकश्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं : – लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। – प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। – विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। – प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। – जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। – प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1327.695 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिहिन्त अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त उल्लिखित 'अन्य सूचना' पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नगदी प्रवाह सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे। कंपनी की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिहिन्त गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं । हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका **अनुलग्नक ''ख''** में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं ।

(घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड़) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक ''ग''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 के प्रवाधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है दृ स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगाय;

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया हैः –

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

vi. अकाउंटिंग साफ्टवेयर, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की रिकॉर्डिंग की सुविधा है, का उपयोग करते हुए लेखाबही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक 01 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू होता है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545**सी**

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुलग्नक ''क''

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i) (क) (अ) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं ।

(ब) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारो की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखा – बही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन सयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति टिहरी/ कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि/ ढुकवां/कासरगोड के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) निम्नलिखित को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर है:

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या कर्मचारी है	धारित करने की अवधि- सीमा बताए	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
फ्रीहोल्ड भूमि	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
फ्रीहोल्ड भूमि		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
फ्रीहोल्ड भूमि	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
फ्रीहोल्ड भूमि	0 .01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
जलमग्न भूमि	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधक वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर त्रैमासिक विवरणी या विवरण, कंपनी की लेखाबहियों के अनुरूप नहीं थे। विवरण इस प्रकार हैं:–

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2022-23	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	ठोस विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक / विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	201.48	201.26	0.22	यह अंतर विचलन के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.64	0.00	3.64	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितम्बर–22	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	8.41	0.04	8.37	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–22	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.05	0.00	6.05	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनी 'टुस्को लिमिटेड' में 14.82 करोड़ रुपये (3.70 करोड़ रुपए के लंबित आबंटन सहित) का निवेश किया है जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) का लागू नहीं होते है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –73 से 76 तक तथा उसमे निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख–रखाव निर्धारित किया है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखाओं और रिकॉर्डों कौ तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या ये सटीक और सत्य है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रकियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है, जिनमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2023 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर 31 मार्च, 2023 के अनुसार विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर और किसी अन्य सांविधिक देय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (रूपये लाख में)	जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं	विरोध के तहत जमा (रूपये लाख में)	मंच जहां मामला लंबित हैं
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	790.60	2015–16 से 2022–23	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	269.18	2015–16 से 2022–23	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	2.80	2004–05 से 2014–15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234 बीसी के अंतर्गत ब्याज	1.72	2006–07	1.72	एसीआईटी, देहरादून
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995	पेंशन अंशदान	3.53	जुलाई 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एवं ईडीएलआई स्कीम, 1976	विलंबित भुगतान / निरीक्षण प्रभार	14.84	जुलाई 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) (क) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों की चुकौती या इन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की। अतः आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों के रेहन पर ऋण नहीं लिया है और इसलिए खंड 3 (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण लिखितों अर्थात् निजी प्लेसमेंट आधार पर कारपोरेट बांड (श्रृंखला–VI और श्रृंखला VII) के माध्यम से जुटाए गए धन का इस्तेमाल पहले से किए जा चुके व्यय और सावधि ऋणों को पूरा करने सहित निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi) (क) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत विनिर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी –4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, ।

(ग) हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना प्रदाता (व्हिसलब्लोअर) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की

टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी में एक पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने के आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को, हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, एजेइंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

(xx) (क) जारी परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में ऐसी कोई अव्ययित राशियां नहीं हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो। तदनुसार, आदेश के खंड (xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं होती है।

(ख) जारी परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में, वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि में से तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में राशि उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में अंतरित कर दी है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुलग्नक ''ख''

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 143(5) के क्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र म . सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सुचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की अखंडता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है? (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होता है।)	हमें दी गई जानकारी और विवरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या उधारी/ऋण/ब्याज को कंपनी की ऋण चुकाने की अक्षतमा के कारण बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया। विचलन के मामलों की सूची	लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई निधियों (इक्विटी) का लेखांकन भली–भांति किया गया तथा संबंधित निबंधनों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545**सी**

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुलग्नक ''ग''

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 3((च) में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) और लेखांकन के मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरण ों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ों पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक संघटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू हैं।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023
यूडीआईएन: 23014335BGXXFD2239

अनुपालन प्रमाण पत्र

जिस किसी से संबंधित है

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के सी एंड ए जी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के अनुसरण में की गई है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें दिए गए सभी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म का आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 15.05.2023

निदेशक
प्रमुख निदेशक का कार्यालय
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं एक्स ओफिसियों
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
भारत के सीएजी का कार्यालय
नई दिल्ली–110 002

DGA ()E/R/01-154/AC-THDC/CPS/2023-24/155

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 31.07.2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 2022-2023 के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 15.05.2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतरू सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणियां या पूरक करने की आवश्यकता उत्पन्न होती हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
(संजय कु. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31/07/2023

समेकित वित्तीय विवरण 2022-23

वित्तीय विवरण 2022-23

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की
अभ्युक्तियां एवं प्रबंधन का उत्तर

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		6,183.31		6,343.91
(ख) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकारी	2		490.93		461.53
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	2		0.56		0.28
(घ) पूंजीगत कार्य–प्रगति	3		14,037.51		9,467.50
(ड.) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	0.00		0.00	
(ii) ऋण	5	32.00		36.12	
(iii) अग्रिम	6	0.00	32.00	0.00	36.12
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7		819.19		836.80
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8		17.60		43.22
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां)	9		2,101.08		2,042.24
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंट्री	10		78.80		40.94
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति					
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	695.92		723.72	
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	12	93.66		90.33	
(ii) (क) उपरोक्त ii के अलावा बैंको में शेष	12.1	18.77		0.00	
(iii) ऋण	13	8.97		9.59	
(iv) अग्रिम	14	6.41		6.78	
(v) अन्य	15	506.66	1,330.39	849.21	1,679.63
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	16		93.51		60.83
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	17		72.64		42.84
विनियामक आस्थिगत खाता डेबिट शेष	18		133.42		98.69
कुल			**25,390.94**		**21,154.53**
इक्विटी और देयता					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,761.77		6,639.31
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी			**10,427.65**		**10,305.19**
गैर–नियंत्रित ब्याज			8.70		4.87
कुल इक्विटी			**10,436.35**		**10,310.06**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
गैर-चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	10,289.09		6,653.98	
(ii) पटटा देयताएं	22	123.45		77.77	
(iii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	365.49	10,778.03	162.40	6,894.15
(ख) अन्य गैर–चालू देयताएं	24		832.00		816.73
(ग) प्रावधान	25		170.98		176.46
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	1,334.47		1,352.73	
(ik) पट्टा देयताएं	27	9.49		7.91	
(ii) व्यापार देय					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		2.38		0.60	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		42.66		27.34	
(iii) अन्य	28	826.81	2,215.81	616.96	2,005.54
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		97.40		87.75
(ग) प्रावधान	30		353.09		348.64
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		9.82		0.00
विनियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष	32		497.46		515.20
कुल			**25,390.94**		**21,154.53**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 तक लेखाओं का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
आय					
सतत प्रचालन से राजस्व	33		1,974.30		1,921.49
अन्य आय	34		29.75		305.95
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		10.47		16.24	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	10.47	0.00	16.24	0.00
कुल आय			**2,004.05**		**2,227.44**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		337.50		355.65
वित्त लागत	36		181.37		134.11
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		273.90		302.65
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		428.22		287.09
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और पुर्जों के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,220.99**		**1,079.50**
विनियामक आस्थिगत खाता शेष, अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ			**783.06**		**1,147.94**
अपवादात्मक मद–(आय)/व्यय–निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**783.06**		**1,147.94**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		136.55		189.34
आस्थगित कर–(परिसंपत्ति)/देयता			16.96		35.14
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ/हानि			**629.55**		**923.46**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय/(व्यय)–कर का निवल	40		43.30		(29.72)
I सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ			**672.85**		**893.74**
II अन्य व्यापक आय					
(I) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन	41		(1.87)		1.59
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर पर आस्थगित कर–आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			(0.65)		0.55
अन्य व्यापक आय			**(2.52)**		**2.14**
कुल व्यापक आय (I+II)			**670.33**		**895.88**
निम्नलिखित को आरोप्य लाभ					
धारक कंपनी के स्वामियों को			672.91		894.01

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
गैर–नियंत्रणीय ब्याज			(0.06)		(0.27)
कुल			**672.85**		**893.74**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय					
धारक कंपनी के स्वामियों को			(2.52)		2.14
कुल			**(2.52)**		**2.14**
निम्नलिखित का आरोप्य कुल अन्य					
धारक कंपनी के स्वामियों को			670.39		896.15
गैर–नियंत्रित ब्याज			(0.06)		(0.27)
कुल			**670.33**		**895.88**
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक) आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
मूल (₹)			183.55		243.88
तनुकृत (₹)			183.55		243.88
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
मूल (₹)			171.75		251.98
तनुकृत (₹)			171.75		251.98
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43, लेखाओं का अभिन्न अंग है।					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अपवादात्मक मदें और कर पूर्व लाभ		**783.06**		**1,147.94**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
मूल्यह्रास	273.90		302.65	
मूल्यह्रास–सिंचाई घटक	10.47		16.24	
प्रावधान	-		-	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(17.70)		(225.46)	
वित्तीय लागत	181.37		134.11	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	1.06		0.33	
बैंक जमा पर ब्याज	(1.14)		(0.44)	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(1.87)		1.59	
एसओसीआईआई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	(43.3)		29.72	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.17)	386.02	6.29	257.43
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,169.08**		**1,405.37**
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
माल सूची	(37.86)		(6.00)	
व्यापार प्राप्तियों (बिल न किए गए राजस्व सहित)	377.70		278.29	
अन्य परिसंपत्तियां	(39.22)		12.14	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(2.32)		(8.08)	
माइनोरिटी ब्याज	0.06		0.27	
व्यापार देय और देयताएं	508.69		343.65	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(1.03)		(6.92)	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	43.30	849.32	(29.72)	583.63
प्रचालन गतिविधियों से कर-पूर्व नकदी प्रवाह		**2,018.40**		**1,989.00**
कारपोरेट कर		(136.55)		(189.34)
प्रचालन से निवल नकद (क)		**1,881.85**		**1,799.66**
ख. निवेश गतिविधयों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी	(4,723.45)		(3,197.85)	
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(1.06)		(0.33)	
पूंजी अग्रिम	(60.29)		(136.52)	
बैंक जमा पर ब्याज	1.14		0.44	

नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	(18.77)		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,802.43)**		**(3,334.26)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	-		-	
उधार–गैर चालू	3,635.11		1,639.76	
उधार–चालू	(40.49)		(806.88)	
पट्टा देयता	(13.05)		(9.59)	
ब्याज और वित्त प्रभार	(181.37)		(134.11)	
अनुदान	24.00		0.50	
विलंबित भुगतान अधिभार	21.59		282.71	
गैर–नियंत्रणीय ब्याज से पूंजी अंशदान	3.83		2.34	
लाभांश और लाभांश पर कर	(547.94)		(508.20)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**2,901.68**		**466.53**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(18.90)**		**(1,068.07)**
ड. आरम्भिक नकद और नकद समतुल्य		**(835.77)**		**232.30**
च. अंतिम नकद और नकद समकक्ष (घ+ड.)		**(854.67)**		**(835.77)**

टिप्पणी:

1. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्दर्शित किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्षों का समाधान टिप्पणी संख्या 43.26 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी-

(1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ / (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथशेष (।)		**0.00**	**6,526.82**	**128.00**	**(15.50)**	**6,639.32**	**4.87**	**6,644.19**
अवधि के लिए लाभ			672.91			672.91	(0.06)	672.85
अन्य व्यापक आय					(2.52)	(2.52)		(2.52)
कुल व्यापक आय			**672.91**		**(2.52)**	**670.39**	**4.81**	**670.33**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान							3.90	3.90

विवरण			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023		अन्य व्यापक आय			
	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ / (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
लाभांश			547.94			547.94		547.94
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**124.97**			**122.45**		**126.29**
डिबेंचर मोचन आरक्षिति में/से अंतरण/समायोजन (iii)			(58.50)			(58.50)		(58.50)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				58.50		58.50		58.50
अंत शेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,593.29**	**186.50**	**(18.02)**	**6,761.77**	**8.71**	**6,770.48**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

(2) 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछला रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण		आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रारंभिक शेष राशि (I)	**0.00**	**6,189.50**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.36**	**2.53**	**6,253.89**
वर्ष के लिए लाभ		894.01			894.01	(0.27)	893.74
अन्य व्यापक आय				2.14	2.14		2.14
कुल व्यापक आय		**894.01**		**2.14**	**896.15**	**2.26**	**895.88**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान						2.60	2.60
लाभांश		508.20			508.20		508.2
लाभांश पर कर		0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (III)		**385.81**			**387.95**		**390.28**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती में अंतरण (III)		(48.50)			(48.50)		(48.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग) (iv)			48.50		48.50		48.50
अंत शेष (I+II+III+IV+V)	**0.00**	**6,526.81**	**128.00**	**(15.50)**	**6,639.31**	**4.86**	**6,644.17**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

टिप्पणी संख्या-1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

टीएचडीसी लिमिटेड ("कंपनी" या "धारक कंपनी") भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः यू45203यूआर1988जीओआई009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। समूह प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामशी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.1 ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 15.05.2023 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.2 ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए तैयार किए गए हैं जिसके लिए कंपनी के तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी वह संस्था है जिस पर समूह का नियंत्रण है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह का उस संस्था में शामिल होने से अस्थिर प्रतिलाभ का अधिकार होता है या योग्य होता है और निवेशी की संगत गतिवधियों को निर्देशत करने के लिए अपने अधिकारों के माध्यम से ऐसे प्रतिलाभ को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनी समूह द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण की तारीख से पूर्ण समेकित है और तब तक समेकित रहेगी जब तक की ऐसे नियंत्रण समाप्त न हो जाए।

समूह, मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों जैसे परिसंपत्तियों की मदें, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकीकृत करता है। समूह की कंपनियों के बीच संव्यवहारों पर अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष और अप्राप्य लाभों को निकाल दिया जाता है। अप्राप्य हानियों को भी निकाल दिया जाता है जब तक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित में परिवर्तन, जिनके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेन–देन के रूप में दर्ज किया जाता है।

जब किसी सहायक कंपनी से समूह का नियंत्रण हट जाता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं और किसी संबंधित एनसीआई एवं इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देता है। पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में बरकराक किसी अन्य हित को नियंत्रण हटने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। उस सहायक कंपनी के संबंध में पूर्व में अन्य विस्तृत आय में मान्य अन्य सभी राशियों को ऐसे दर्ज किया जाता है जैसे समूह ने प्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं को निस्तारित किया है अर्थात् लागू इंड एएस द्वारा यथानिर्दिष्ट लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनःवर्गीकृत किया है या इक्विटी में अंतरित किया है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिधारित हित के लिए अनुवर्ती लेखांकन के प्रयोजनों के लिए आरम्भिक वहन राशि बना जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई

में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगाः

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है या

3) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को 'खनन संपत्ति' के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.2 **स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन**

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल 'गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान' शीर्ष के तहत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

5.3 **खानों को बंद करना, स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व**

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरुद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरुद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित

कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देयताओं अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 प्रारंभिक मान्यता और मापः सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 **अनुवर्ती मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन)-** किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं–बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल-सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देयताएं

12.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देयताओं से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 **अनुवर्ती माप**

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देयताओं को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 **अमान्य करना :** किसी वित्तीय देयता को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देयता का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी

अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देयता निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देयता, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि

को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देयता के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्षी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है ।

19.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

19.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिलाभ के एवज में निष्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्याः

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई

पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई (सी जी यू) के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 **वर्तमान आयकर-**आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 **आस्थगित कर**

22.2.1तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देयताओं में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली–भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

23.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देयताओं में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर

परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देयता निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देयता को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देयताओं के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित 'लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

26.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

28.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

29.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	43.79	7.15	-	50.94	-	-	-	-	50.94	43.79
2. जलमग्न भूमि	1,723.35	63.52	(0.02)	1,786.85	747.87	40.05	-	787.92	998.93	975.48
3. भवन	1,111.58	17.78	(1.20)	1,128.16	358.75	35.86	(0.53)	394.08	734.08	752.83
4. अस्थायी भवन ढांचे	26.55	1.88	-	28.43	26.55	1.88	-	28.43	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	190.69	9.84	-	200.53	59.17	6.68	-	65.85	134.68	131.52
6. ड्रेनेज, सीवरेज, व्यवस्था तथा जलापूर्ति	26.89	3.98	-	30.87	11.30	0.87	-	12.17	18.70	15.59
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	17.43	1.06	-	18.49	5.98	7.04
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,433.11	4.62	(2.28)	3,435.45	1,700.13	79.06	-	1,779.19	1,656.26	1,732.98
9. ईडीपी मशीनें	23.15	5.72	(1.33)	27.54	15.61	3.28	(1.13)	17.76	9.78	7.54
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.56	0.25	-	46.81	12.81	1.13	-	13.94	32.87	33.75
11. पारेषण लाइनें	32.20	0.47	-	32.67	18.81	1.35	-	20.16	12.51	13.39
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	74.73	10.70	(0.54)	84.89	56.20	4.25	(0.23)	60.22	24.67	18.53
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	38.59	7.60	(0.41)	45.78	21.58	2.71	(0.06)	24.23	21.55	17.01
14. वाहन	23.75	4.51	(0.23)	28.03	13.49	1.91	(0.16)	15.24	12.79	10.26
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.67	0.07	-	0.74	0.48	0.55
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	(0.62)	5,190.00	3,273.88	104.62	-	3,378.50	1,811.50	1,916.74
17. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.21	-	-	1,606.21	939.30	9.32	-	948.62	657.59	666.91
उप योग	**13,617.46**	**138.02**	**(6.63)**	**13,748.85**	**7,273.55**	**294.10**	**(2.11)**	**7,565.54**	**6,183.31**	**6,343.91**
पिछली अवधि के आंकड़े	**13,507.94**	**114.25**	**(4.73)**	**13,617.46**	**6,945.90**	**329.12**	**(1.47)**	**7,273.55**	**6,343.91**	**6,562.04**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.22	0.51	-	5.73	4.94	0.23	-	5.17	0.56	0.28
उप योग	**5.22**	**0.51**	**-**	**5.73**	**4.94**	**0.23**	**-**	**5.17**	**0.56**	**0.28**
पिछली अवधि के आंकड़े	**5.13**	**0.09**	**-**	**5.22**	**4.74**	**0.20**	**-**	**4.94**	**0.28**	**0.39**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	434.73	40.32	(0.22)	474.83	41.62	17.49	(0.23)	58.88	415.95	393.11
2. उपयोग का अधिकार–कोयला आधारित भूमि	60.60	11.41	-	72.01	1.04	2.59	-	3.63	68.38	59.56
3. उपयोग का अधिकार–भवन	9.45	0.57	(0.15)	9.87	1.18	2.36	(0.15)	3.39	6.48	8.27
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	8.72	0.21	(3.78)	5.15	8.14	0.67	(3.78)	5.03	0.12	0.58
उप योग	**513.5**	**52.51**	**(4.15)**	**561.86**	**51.98**	**23.11**	**(4.16)**	**70.93**	**490.93**	**461.52**
पिछली अवधि के आंकड़े	446.19	119.85	(52.54)	513.50	35.36	19.71	(3.10)	51.97	461.53	410.83

मूल्यह्रास का विवरण	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास	33.07		30.14	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास	273.9		302.65	
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	10.47	317.44	16.24	349.03
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया	0.36		0.14	

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि को ₹1/– की सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी :- 2

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	39.83	3.96	-	43.79	-	-	-	-	43.79	39.83
2. जलमग्न भूमि	1,698.23	25.13	(0.01)	1,723.35	708.48	39.39	-	747.87	975.48	989.75
3. भवन	1,069.34	43.38	(1.14)	1,111.58	321.50	37.25	-	358.75	752.83	747.84
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.64	1.99	(0.08)	26.55	24.50	2.05	-	26.55	-	0.14
5. सड़क, पुल और पुलिया	186.68	4.01	-	190.69	51.71	7.46	-	59.17	131.52	134.97
6. ड्रेनेज, सीवरेज, व्यवस्था तथा जलापूर्ति	22.67	4.22	-	26.89	10.24	1.06	-	11.30	15.59	12.43
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	16.10	1.33	-	17.43	7.04	8.37
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,418.64	14.47	-	3,433.11	1,607.83	92.30	-	1,700.13	1,732.98	1,810.81
9. ईडीपी मशीनें	19.30	4.55	(0.7)	23.15	13.48	2.70	(0.57)	15.61	7.54	5.82
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.55	1.21	(1.2)	46.56	11.55	1.26	-	12.81	33.75	35.00
11. पारेषण लाइनें	32.21	-	(0.01)	32.20	17.44	1.37	-	18.81	13.39	14.77
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	69.87	4.95	(0.09)	74.73	52.30	3.94	(0.04)	56.20	18.53	17.57
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	34.15	4.71	(0.27)	38.59	19.37	2.40	(0.19)	21.58	17.01	14.78
14. वाहन	23.32	1.55	(1.12)	23.75	12.49	1.67	(0.67)	13.49	10.26	10.83
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.59	0.08	-	0.67	0.55	0.63
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	-	5,190.62	3,168.59	105.29	-	3,273.88	1,916.74	2,022.03
17. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	0.12	(0.11)	1,606.21	909.73	29.57	-	939.30	666.91	696.47
उपयोग	**13,507.94**	**114.25**	**(4.73)**	**13,617.46**	**6,945.90**	**329.12**	**(1.47)**	**7,273.55**	**6,343.91**	**6,562.04**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.13	0.09	-	5.22	4.74	0.20	-	4.94	0.28	0.39
उपयोग	**5.13**	**0.09**	**-**	**5.22**	**4.74**	**0.20**	**-**	**4.94**	**0.28**	**0.39**
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	433.05	50.72	(49.04)	434.73	28.22	13.39	-	41.61	393.12	404.83
2. उपयोग का अधिकार–कोयला आधारित भूमि	-	60.0	-	60.60	-	1.04	-	1.04	59.56	-
3. उपयोग का अधिकार–भवन	4.37	8.43	(3.35)	9.45	2.45	1.67	-2.94	1.18	8.27	1.92
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	8.77	0.10	(0.15)	8.72	4.69	3.61	-0.16	8.14	0.58	4.08
उप योग	**446.19**	**119.85**	**-52.54**	**513.50**	**35.36**	**19.71**	**-3.1**	**51.97**	**461.53**	**410.83**
मूल्यह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**					
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					30.14		24.00			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					302.65		317.33			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					16.24	349.03	18.80	360.13		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्य ह्रास किया गया					0.14		0.16			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4X100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी :- 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान वृद्धि	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन और अन्य सिविल कार्य		123.74	57.05	(0.13)	(19.24)	161.42
सड़कें, पुल और पुलिया		222.33	194.12	(0.07)	(9.84)	406.54
जल आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी		23.01	140.39	-	(3.80)	159.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		4,441.52	2,979.52	-	(0.30)	7,420.74
हाइड्रोलिक वर्क्स, डैम, स्पिलवे, वाटर चैनल्स, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक वर्क्स		3,838.01	923.82	(2.46)	-	4,759.37
वनीकरण जलग्रहण क्षेत्र		106.77	1.89	-	-	108.66
विद्युत प्रतिष्ठान और उप–स्टेशन उपकरण		82.11	41.00	-	(0.47)	122.64
परियोजना निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य व्यय		233.83	176.99	(0.77)	0.00	410.05
कोयला खदान विकास		218.51	71.37	(35.75)	0.00	254.13
अन्य		1.67	2.07	(0.08)	(1.75)	1.91
लंबित आवंटन व्यय						
सर्वेक्षण और विकास व्यय		79.31	0.27	-	-	79.58
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	20.28	337.23			357.51
घटाएं: निर्माण के दौरान आबंटित / पीएंडएल में प्रभारित व्यय	32.1		316.07			316.07
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		76.41	94.49	-	(59.47)	111.43
कमः सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**9,467.50**	**4,704.14**	**(39.26)**	**(94.87)**	**14,037.51**
पिछली अवधि के आंकड़े		**6,420.71**	**3,149.70**	**(4.91)**	**(98.00)**	**9,467.50**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि के मूल्य को शामिल किया गया है क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, कोई हानि नहीं हुई है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के तहत किया गया है।

3.3 अतिदेय परियोजनाओं के पूरा होने का समय या लागत में वृद्धि टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत प्रकट किया गया है।

टिप्पणी :- 4

गैर चालू परिसंपत्तियां - सहायक कंपनी में निवेश

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी में निवेश					
टुस्को			25.90		14.80
घटाएं: सहायक कंपनी–टुस्को द्वारा आबंटित शेयर पूंजी			25.90		14.80
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी :- 5

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		12.56		14.82	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		7.80		8.82	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		18.47		21.01	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		1.87		1.63	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**40.70**		**46.28**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		6.86		8.17	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.88	31.96	2.03	36.08
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0.01		0.03	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.03		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.04**		**0.05**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
उप योग			**32.00**		**36.12**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुलयोग - ऋण			**32.00**		**36.12**
टिप्पणी:– निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.03	
ब्याज		0.03		0.02	
कुल योग		**0.04**		**0.05**	
घटा: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.01	0.04
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.12		0.16	
ब्याज		0.03		0.02	
कुल योग		**0.15**		**0.18**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.02	0.13	0.03	0.15

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

5.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 6

गैर चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए सहायक कंपनी में शेयर आवेदन धनराशि					
टुस्को			3.70		0.00
घटाएं: सहायक कंपनी– टुस्को द्वारा शेयर पूंजी का लंबिट आबंटन			**3.70**		**0.00**
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी :- 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			819.19		836.80
कुल			**819.19**		**836.80**

टिप्पणी :- 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
जमा कर			17.60		43.22
कुल			**17.60**		**43.22**

टिप्पणी :- 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित देय कर्मचारी लागत			8.75		10.20
उप योग			**8.75**		**10.20**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (853.96 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		702.78		823.75	
ii) पुनर्वास पुनर्स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		437.95		455.58	
iii) अन्य		763.68		654.06	
iv) अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		310.00	2,214.41	221.52	2,154.91
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			122.08		122.87
उप योग-पूंजी अग्रिम			**2,092.33**		**2,032.04**
कुल			**2,101.08**		**2,042.24**

टिप्पणी :- 10
इन्वेंट्री

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		0.98		1.62	
यांत्रिक एवं विद्युत स्टोर एवं पुर्जे		32.06		33.63	
कोल इन्वेंट्री		40.18		0.00	
अन्य (स्टोर और पुर्जे सहित)		5.48		3.77	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.10		0.00	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	78.80	1.92	40.94
घटाएं: अन्य स्टोरों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**78.80**		**40.94**

टिप्पणी :- 11
व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		131.79		229.46	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	131.79	0.00	229.46
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		329.67		321.69	
क्रेडिट क्षतिग्रस्त		0.00	329.67	0.00	321.69
(iii) अबिलीकृत देनदार			234.46		172.57
कुल			**695.92**		**723.72**
11.1 व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण टिप्पणी संख्या 43.9 के तहत प्रदर्शित किया गया है					

टिप्पणी :- 12
नकदी और नकदी समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
नकद और नकद समतुल्य					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप) बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			93.66		90.32
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट			0.00		0.01
कुल			**93.66**		**90.33**

टिप्पणी :- 12.1
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
तीन माह से अधिक की मूल परिपक्वता और एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली जमा राशियां			18.77		0.00
कुल			**18.77**		**0.00**

टिप्पणी :- 13

चालू वित्तीय परिसम्पतियां-ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		5.42		6.18	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.94		3.16	
कर्मचारियों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		2.12		1.99	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.07	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**10.56**		**11.4**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.10		1.28	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.43	9.03	0.47	9.65
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप-कुल			**9.05**		**9.67**
घटाएं:– अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**8.97**		**9.59**
टिप्पणी :- निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी :- अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.04		0.04	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.04**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.00	0.04

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 14

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां-अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.08		6.44	
अन्यों को		0.33	6.41	0.34	6.78
कुल			**6.41**		**6.78**

14.1 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 15

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
जमा					
प्रतिभूत जमा राशि		24.19		15.19	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		482.46		480.16	
अन्य जमा		0.01	506.66	0.07	495.42
अन्य					
संविदा परिसंपत्यिां			0.00		353.79
कुल			**506.66**		**849.21**

15.1 संविदा परिसंपत्तियों में शून्य (पिछला वर्ष 353.79 करोड़ रुपए) (वसूलनीय) 370.27 करोड़ रुपए और देय 16.48 करोड़ रुपए) की लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों का शेष शामिल है।

टिप्पणी :- 16

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
जमा कर			93.51		60.83
कुल			**93.51**		**60.83**

टिप्पणी :- 17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
पूर्व–संदत्त व्यय			44.88		31.12
उपार्जित ब्याज			0.04		0.03
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.40		0.33
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.53		1.75
उप-योग			**46.85**		**33.23**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.42		0.58
खरीद के लिए			8.28		3.74
अन्य को			31.50		19.70
			40.2		**24.02**
घटाएं: वसूलियों के विविध प्रावधान			14.41		14.41
उपयोग- अन्य अग्रिम			**25.79**		**9.61**
कुल			**72.64**		**42.84**

टिप्पणी :- 18

विनियामक आस्थगित लेखा डेबित शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
अथ शेष			98.69		169.72
वर्ष के दौरान निवल संचलन			34.73		(71.03)
अंत शेष			**133.42**		**98.69**

18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 133.42 करोड़ रूपये के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।

टिप्पणी :- 19

शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
1000/– प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 54.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर पर 197.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 190.84 रूपये) के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वर्ष के दौरान ₹ 350.00 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 142.24 रुपये (पिछले वर्ष 140.56 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 521.44 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी :- 19.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100.00**	**3,66,58,817**	**100.00**

टिप्पणी :- 19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरम्भिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
जारी किए गए		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2 क. कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी :- 19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (आरंभ में)	%	शेयरों की संख्या (अंत में)	%	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100.00**	**3,66,58,817**	**100.00**	

टिप्पणी :- 20

अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,593.29		6,526.81
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			186.50		128.00
अन्य व्यापक आय			(18.02)		(15.50)
कुल			**6,761.77**		**6,639.31**
20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय सं.जी.एस.आर 574(अ) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन की वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।					

टिप्पणी :- 21

गैर -चालू- वित्तीय देयताएं - उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
क. प्रतिभूत - बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला-VI (7.60% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		0.00
^ बांड निर्गम श्रृंखला-V (7.39% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के गैर–प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला-IV (7.45% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
*****बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-III** (7.19% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
**बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-II (8.75% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.44		1,574.44
*बॉन्ड निर्गम श्रृंखला-I (7.59% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड)। (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.47		622.33
कुल (क)			**5,883.69**		**5,050.40**
ख. प्रतिभूत **वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण** ****पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)-78302003 टिहरी एचपीपी के लिए)** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			46.04		138.17
# रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी (केएचईपी के लिए) **(यूए-जीई-पीएसयू-033-2010-3754)** (30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			0.00		17.52
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए) पीएनबी (तीन माह की एमसीएलआर पर वर्तमान में 8.10% की ब्याज दर के साथ 30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्ष के भीतर तिमाही किश्तों पर चुकाने योग्य)			139.61		281.38
@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-I) बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			2,375.53		800.15
@@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-II) बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 8.20% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर 2 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के बाद पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			525.12		0.00
कुल (ख)			**3,086.30**		**1,237.22**
ग. अप्रतिभूत **बांड निर्गम श्रृंखला-VII** (7.88% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		0.00
विदेशी मुद्रा ऋण **(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)** **$ विश्व बैंक ऋण-8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए)** (15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक 23 वर्ष के भीतर छमाही किश्त में प्रतिदेय, ब्याज दर @एसओएफआर + परिवर्तनीय स्प्रेड अर्थात् वर्तमान में 5.31%)			1,365.72		1,001.65
कुल (ग)			**1,978.03**		**1,001.65**
कुल (क+ख+ग)			**10,948.02**		**7,289.27**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण–प्रतिभूत			309.73		372.80
विदेशी मुद्रा ऋण–अप्रतिभूत			76.42		53.83
उधारियों पर उपार्जित किंतु अदेय ब्याज			272.78		208.66
कुल			**10,289.09**		**6,653.98**

* बांड श्रृंखला I, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्ति पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

** बांड श्रृंखला II, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*** बांड श्रृंखला III कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बॉन्ड श्रृंखला IV, V और VI टिहरी में स्थित पंप स्टोरेज प्लांट की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

दीर्घकालिक ऋण कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

@ मध्यावधि ऋण टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए प्रतिभूत है।

@@ सावधि ऋण, कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

@@@ सावधि ऋण, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पहले शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित है।

21.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

21.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी :- 22

गैर चालू वित्तीय देयताएं-पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			132.94		85.68
पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			9.49		7.91
कुल			**123.45**		**77.77**

टिप्पणी :- 23

गैर चालू वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि।		413.18		206.52	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि		47.69	365.49	44.12	162.40
कुल			**365.49**		**162.40**

टिप्पणी :- 24
अन्य गैर चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			182.32		189.92
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			577.49		582.19
एमएनआरई से अनुदान					
प्रारंभिक जमा		0.50		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		24.00		0.50	
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग		0.00	24.50	0.00	0.50
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			47.69		44.12
कुल			**832.00**		**816.73**

टिप्पणी :- 25
गैर चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
			योग	समायोजन	उपयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		173.91	2.82	(8.17)	0.00	168.56
II. अन्य		2.55	0.00	0.00	(0.13)	2.42
कुलयोग		**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		**190.37**	**3.59**	**(10.75)**	**(6.75)**	**176.46**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकट टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया हैं।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी :- 26
चालू वित्तीय देयताएं -उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/नकद ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक			848.56		650.33
***एचडीएफसी बैंक			19.98		195.92
****बैंक ऑफ बड़ौदा			0.00		0.10
*भारतीय स्टेट बैंक			79.78		79.75
कुल (क)			**948.32**		**926.1**
ख. दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			309.73		372.80
अप्रतिभूत ^			76.42		53.83
कुल (ग)			**386.15**		**426.63**
कुल (क+ख)			**1,334.47**		**1,352.73**

* कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** परियोजना स्थल पर चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और सामग्री सहित टिहरी चरण–1 की परिसंपत्ति और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर दूसरे शुल्क के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

***कंपनी के संयंत्र–पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर प्रभार के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की प्रतिभूति @@ के तहत टिप्पणी संख्या 21 में बताई गई है।

^ ब्याज दर के संबंध में विवरण और प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता की चुकौती की शर्तों का उल्लेख टिप्पणी–21 में किया गया है।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

26.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कॉमपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारों का अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.13 के तहत किया गया है।

टिप्पणी :- 27

चालू - वित्तीय देयताएं - पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			9.49		7.91
कुल			**9.49**		**7.91**

टिप्पणी :- 28

चालू-वित्तीय देयताएं-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.89		2.07	
अन्य के लिए		269.44	270.33	131.83	133.90
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		283.47		273.74	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	283.47	0.00	273.74
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		273.01		209.32	
अन्य देयताएं		0.00	273.01	0.00	209.32
कुल			**826.81**		**616.96**

टिप्पणी :- 29
अन्य चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास पर अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			79.33		63.91
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		863.69		858.99	
घटाएं:					
मूल्यह्रास की ओर समायोजन		853.22	10.47	842.75	16.24
कुल			**97.40**		**87.75**

टिप्पणी :- 30
चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2023 के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
I. **कार्य**		24.53	29.25	0.00	(22.29)	31.49
II. **कर्मचारियों से संबंधित**		311.76	64.18	(24.25)	(57.98)	293.71
III. **अन्य**		12.35	78.49	(57.09)	(5.86)	27.89
कुल		**348.64**	**171.92**	**(81.34)**	**(86.13)**	**353.09**
पिछली अवधि के लिए आंकड़ें		**341.65**	**184.77**	**(17.74)**	**(160.04)**	**348.64**

30.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.23 में किया गया है।

30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी :- 31
चालू कर देयताएं (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
आयकर					
अथशेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान वृद्धि			112.38		207.42
अवधि के दौरान समायोजन			(2.82)		(7.16)
अवधि के दौरान उपयोग			(99.74)		(200.26)
अंत शेष			**9.82**		**0.00**

टिप्पणी :- 32
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
अथशेष			515.20		550.22
अवधि के दौरान निवल संचलन			(17.74)		(35.02)
अंतशेष			**497.46**		**515.20**

32.क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है।

टिप्पणी :- 32.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		163.89		172.35	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		13.12		12.68	
पेंशन निधि		12.20		13.56	
उपहार		2.55		6.59	
कल्याण		5.99		5.45	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.34	198.09	0.03	210.66
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.06		0.26	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.48	1.54	0.83	1.09
दर और कर			0.77		0.01
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
ऊर्जा और ईंधन			11.03		10.16
बीमा			0.17		0.15
संचार			1.62		1.62
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		0.00		0.00	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		0.65		0.97	
अन्य		8.45	9.10	3.63	4.60
यात्रा और वाहन			3.76		1.47
वाहन किराया एवं चालन			9.69		6.76
सुरक्षा			10.98		9.20
प्रचार और जनसंपर्क			0.12		0.49
अन्य सामान्य व्यय			33.46		18.64
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि			0.14		0.01
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			0.61		12.84
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			0.68		0.11
ब्याज अन्य			75.72		7.51
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.00		0.29	
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.29
मूल्यह्रास	2		33.07		30.14
कुल व्यय (क)			**409.82**		**315.75**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
कर्मचारियों से		0.64		0.74	
कर्मचारियों ऋण और अग्रिम–प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.34		0.03	
अन्य से		0.21	1.19	0.20	0.97
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			1.29		0.95
विविध प्राप्तियां			4.09		3.83
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.03		0.35
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			65.83		1.55
कुल प्राप्तियां (ख)			**72.47**		**7.71**
कराधान से पहले निवल व्यय			337.35		308.04
कराधान के लिए प्रावधान	38				
कराधान सहित निवल व्यय			337.35		308.04
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		0.12		0.21
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			20.28		75.24
कुल ईडीसी			**357.51**		**383.07**
घटाएं:					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		307.74		362.79	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं की ईडीसी, जो लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।		8.33	316.07	0.00	362.79
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेषित शेष			**41.44**		**20.28**

टिप्पणी :- 33

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विद्युत बिक्री के बदले लाभार्थियों से आय		1,937.67		1,880.62	
जोडें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.60	
घटाएं:					
ग्राहकों को छूट		8.98	1,936.29	6.31	1,881.91
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			29.03		25.35
परामर्श आय			8.98		14.23
कुल			**1,974.30**		**1,921.49**

33.1 माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक 10.05.2022 और 13.05.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। माननीय सीईआरसी ने 2014–19 और 2019–24 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी की प्रशुल्क याचिकाओं का निपटान कर दिया है तथा अपने दिनांक14.09.2022 और 03.10.2022 के आदेश के तहत प्रशुल्क की अनुमति दी है। पिछले वर्ष के संबंध में इन प्रशुल्क आदेशों के प्रभाव को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व में शामिल किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को क्रमशः दिनांक 13.05.2022 और 03.10.2022 के उक्त आदेशों के आधार पर मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त माननीय सीईआरसी ने 01.01.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) में कर्मचारियों के वेतन संशोधन, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) के 61.09 करोड़ रुपए की राशि के प्रभाव की वसूली के लिए दिनांक 25.11.2022 का आदेश जारी किया है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.2 दिनांक 21.12.2022 के माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, टीएचडीसीआईएल को अगस्त, 2022 से जल खपत प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित है, इसलिए सीईआरसी विनियम, 56 के संदर्भ में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए ₹ 45.89 करोड़ और ₹ 36.12 करोड़ की राशि वसूलनीय है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालनों से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 टिहरी चरण 1 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे होने के कारण, पूर्व में आस्थिगत आय के रूप में अनुमत और विचारित एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोग अवधि अर्थात् 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.4 लाभार्थियों से आय में, चालू वर्ष के लिए 57.93 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री) और 28.49 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन तथा पिछले वर्ष के लिए 33.98 करोड़ रुपए की माध्यमिक ऊर्जा और 25.70 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन शामिल है।

टिप्पणी :- 34

अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (इसमें 1583376.00 रुपए (पिछली अवधि 417640.00 रुपए) शामिल हैं)		1.14		0.44	
कर्मचारियों से		1.87		1.94	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम– प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		5.32		2.06	
अन्य		0.26	8.59	0.23	4.67
मशीन किराया प्रभार			0.04		0.06
किराया प्राप्तियां			2.75		1.97
विविध प्राप्तियां			6.96		6.18
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			1.17		73.88
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ			0.03		0.03
विलंबित भुगतान अधिभार			17.70		225.46
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			65.80		1.74
कुल			**103.04**		**313.99**
कमः					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.82		0.33
ईडीसी में अंतरित	32.1		72.47		7.71
कुल			**29.75**		**305.95**

टिप्पणी :- 35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			418.57		432.27
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान			40.19		35.49
पेंशन निधि			32.59		39.12
उपहार			16.35		16.78
कल्याण व्यय			22.57		40.59
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			5.32		2.06
कुल			**535.59**		**566.31**
घटाएं:					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		198.09		210.66
कुल			**337.5**		**355.65**

टिप्पणी :- 36

वित्त लागत

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			424.32		343.75
घरेलू ऋणों पर ब्याज			171.1		100.25
विदेशी ऋणों पर ब्याज			50.27		9.25
नकद ऋण पर ब्याज			52.54		13.50
एफईआरवी			107.47		18.47
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			0.00		0.00
ब्याज अन्य			76.82		9.05
कुल			**882.52**		**494.27**
घटाएं.					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			625.43		352.65
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			75.72		7.51
कुल			**181.37**		**134.11**

टिप्पणी :- 37

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		1.35		0.35	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.91	2.26	1.59	1.94
दर और कर			2.80		2.05
जल उपयोग शुल्क			82.41		0.30
ऊर्जा और ईंधन			23.93		21.41
बीमा			31.42		31.07
संचार			6.11		6.11
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		66.88		55.16	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		8.56		5.95	
भवन		24.49		22.79	
अन्य		37.68	137.61	25.20	109.10
यात्रा और वाहन			7.89		3.63
वाहन किराया एवं चलाना			20.12		11.23
सुरक्षा			70.00		62.61
प्रचार और जनसंपर्क			3.85		1.52
अन्य सामान्य व्यय			76.94		51.03
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.37		0.32
परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान			1.23		0.36
खदान संचालन लागत			19.27		0.00
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			9.30		12.84
अनुसंधान एवं विकास			2.70		3.46
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			9.86		8.06
सीएसआर और सततता विकास गतिविधियों पर व्यय			23.09		27.20
कुल			**531.16**		**354.24**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		102.94		67.15
कुल			**428.22**		**287.09**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.20 (i) के तहत किया गया है।

टिप्पणी :- 38

प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
अशोध्य ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.29
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.29**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.00		0.29
कुल			**0.00**		**0.00**
38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण होता है।					

टिप्पणी :- 39

कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			136.55		189.34
उप योग			136.55		189.34
कुल			**136.55**		**189.34**

टिप्पणी :- 40

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			52.47		(36.01)
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(9.17)		6.29
कुल			**43.30**		**(29.72)**

टिप्पणी :- 41

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ / (हानि)			(1.75)		1.80
उप-योग			**(1.75)**		**1.80**
घटाएं:-					
ईडीसी मे स्थानांतरित	32.1		0.12		0.21
कुल			**(1.87)**		**1.59**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालम गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल- कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्गत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और एफपीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत

दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

42.4 लेखांकन संबंधी हालिया घोषणाएं: मानक जारी किए गए किंतु अभी तक प्रभावी नहीं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जिसमें कतिपय लेखांकन मानकों को संशोधित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं। उैत अधिसूचना में, 10 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) नामतः इंड एएस 101, 102, 103, 107, 109, 115, 1, 8, 12 और 34 को संशोधित किया गया है और इन संशोधनों का सार निम्नानुसार हैः

1. **इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति**

इस संशोधन में 'महत्वपूर्ण (significant)' शब्द को 'सारवान (material)' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें संस्था को अपने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की बजाय सारवान लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है चूंकि 'सारवान' को इंड एएस में परिभाषित किया गया है और इसे हितधारकों द्वारा भली–भांति समझा जाता है। इसके साथ ही, यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि लेखांकन नीति संबंधी जानकारी सारवान है अथवा नहीं।

2. **इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां**

संशोधनों में 'लेखांकन अनुमान में किसी परिवर्तन' की परिभाषा को 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन से लेखांकन अनुमानों में विशिष्ट परिवर्तन में सहायता करने हेतु 'लेखांकन अनुमानों' की परिभाषा पेश की गई है। निर्दिष्ट किया गया है कि नई जानकारी या नए विकास से लेखांकन अनुमान में कोई परिवर्तन हो सकता है और यह किसी त्रुटि का सुधार नहीं है, और किसी लेखांकन अनुमान में किसी इनपुट या किसी माप तकनीक में किसी परिवर्तन के प्रभाव लेखांकन अनुमानों में परिवर्तित हो जाते हैं, जब तक कि वे पूर्व अवधि त्रुटियों के सुधार के परिणामस्वरूप न हों।

3. **इंड एएस 12, आयकर**

संशोधन में मान्यता में छूट के दायरे को कम किया गया है ताकि यह अब ऐसे लेन–देन पर लागू न हो जो प्रारम्भिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों में वृद्धि करती हैं, उदाहरणार्थ–पट्टा और डिकमीशनिंग दायित्वों के मामले में।

4. **इंड एएस 101, 102, 103, 109 और 115 संपादकीय सुधार**

ये ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन है जिनमें ऐसे संदर्भों और शब्दावली आदि को अद्यतन करना शामिल होता है जिनके परिणामस्वरूप इंड एएस के सिद्धांतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों की अपेक्षाओं को समझा है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव सारवान नहीं है।

43. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 4462.36 करोड़ रूपये (गत वर्ष 5724.92 करोड़ रूपये) है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क	पूंजीगत कार्य	1446.41	1010.57
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	71.38	67.99
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1314.95	1235.32
घ	अन्य, मध्यस्तकर के मामलों सहित	2947.74	2823.21
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	-	-
च	विवादित कर संबंधी मामले	1.72	1.72
छ	**कुलयोग**	**5782.20**	**5138.81**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	462.35	460.06

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 2.09 करोड़ रूपये तथा 3.92 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.17 करोड़ रुपये एवं 4.08 करोड़ रूपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 696.65 करोड़ रुपये (गत वर्ष 480.26 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.83 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.40 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 625.43 करोड़ रुपये और 75.72 करोड़ रूपये (गत वर्ष 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 78.52 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 12.70 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफसी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।

संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50		नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी/वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार/वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/यूपीएस आईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹ 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी/वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50		नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार / यूपीएस आईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	14.28	1.99	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹ 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया ।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 16 फ्लैट (गत वर्ष 18 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.04 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एच सी सी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 195.51 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2022 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैमर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला आरक्षित भंडार का निष्कर्षण आरम्भ कर दिया है। कोयला खदान के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) सीईआरसी विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद घोषित की जाएगी। समझौते के अनुसार, खदान विकासक और संचालक (एमडीओ), मैसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड, अनुमोदन खदान संवरण योजना के अनुसार भूमि पुनरूद्धार, संरचना की डिकमीशनिंग और खदान संवरण (उत्तरोत्तर और अंतिम) गतिविधियों पर वहन किए जाने वाले व्यय के दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। तदनुसार अनुमोदित खदान संवरण योजना के अनुसार आंकी गई ₹ 4.14 करोड़ की राशि को एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई है।

8. (i) दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**4,634.09**	**3,161.53**	**1,421.38**	**4,820.51**	**14,037.51**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**3,175.24**	**1,433.47**	**965.95**	**3,892.84**	**9,467.50**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(ii) 31.03.2023 और 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

परियोजना	निम्न अवधि में पूरा किया जाना है				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	850.00	298.86	-	-	1148.86
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	560.00	470.00	316.05	-	1346.05
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.61	153.20	-	-	722.81
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	500.00	500.00	406.00	-	1406.00

9. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2023 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (46 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ड.)					कुल (च)= (ग+घ +ङ)
				6 माह से कम	6 माह 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	634.46	234.46	247.73	20.53	41.49	72.32	0.03	17.90	634.46
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	61.46	-	-	61.46	-	-	-	-	61.46
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**695.92**	**234.46**	**247.73**	**81.99**	**41.49**	**72.32**	**0.03**	**17.90**	**695.92**

31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (46 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ड.)					कुल (च)= (ग+घ +ङ)
				6 माह से कम	6 माह 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	669.69	172.57	130.76	143.54	57.59	140.97	4.29	19.98	669.69
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	54.03	-	-	54.03	-	-	-	-	54.03
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**723.72**	**172.57**	**130.76**	**197.57**	**57.59**	**140.97**	**4.29**	**19.98**	**723.72**

10. दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2022 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.38	-	-	-	2.38
(ii) अन्य	40.18	1.11	0.86	0.51	42.66
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	--	--	--	--	--
(iv) विवादित बकाया–अन्य	--	--	--	--	--

31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
(ii) अन्य	25.19	1.42	0.60	0.12	27.34
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	--	--	--	--	--
(iv) विवादित बकाया–अन्य	--	--	--	--	--

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरणः

राशि ₹ करोड़ में

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम पैन	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेन देन की प्रकृति	बकाया शेष ₹ करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31-03-2023	31-03-2022	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.04	व्यापार देय
नवेली डेकोर प्राइवेट लिमिटेड (AAFCN8799K)	देय	-	-	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2022-23	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगितयों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	201.48	201.26	0.22	यह अंतर विचलन के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.64	0.00	3.64	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितम्बर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	199.80	199.80	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	8.41	0.04	8.37	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	262.74	262.74	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.05	0.00	6.05	यह अंतर, पवन परियोजना के जीबीआई के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
मार्च–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	244.88	244.88	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	1.22	1.22	-	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड

: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को निगमित) और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सहायक कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेन–देन नहीं किया गया है।

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	जारी
2	श्री जे. बेहरा	निदेशक (वित्त)**	जारी
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू.के.भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
2	श्री ए.के.गौतम	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.05.2022 तक
3	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
4	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	26.04.2022 से
5	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	17.08.2022 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	जारी
2	डॉ बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	जारी
3	श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला	स्वतंत्र निदेशक	जारी
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्त अधिकारी	जारी
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी
सहायक कंपनी-टुस्को लिमिटेड			
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष	जारी
2	श्री जे.बेहरा	नामिती निदेशक	जारी
3	श्री अनुपम शुक्ला	नामिती निदेशक	12.07.2022 से
4	श्री भवानी सिंह खंगारूट	नामिती निदेशक	10.06.2022 तक
5	श्री शैलेन्द्र सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	31.07.2022 तक
6	श्री मृदुल दुबे	मुख्य वित्त अधिकारी	06.01.2023 से
7	श्री के. के. श्रीवास्तव	मुख्य वित्त अधिकारी	29.08.2022 से
8	श्री हिमांशु बाजपेई	कंपनी सचिव	जारी
सहायक कंपनी - ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड			
1	श्री राजीव विश्नोई	अध्यक्ष	25.03.2023 से
2	श्री ललित वर्मा	नामिती निदेशक	25.03.2023 से
3	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामिती निदेशक	25.03.2023 से
4	श्री कुमार शरद	नामिती निदेशक	25.03.2023 से
5	श्री अतुल जैन	नामिती निदेशक	25.03.2023 से

(*) 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार
(**) 24.03.2023 से निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 22.11 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

राशि ₹ करोड़ में

क्र .सं.	समबद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यहवार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यहार	2022-23	2021-22
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	46.28	29.43
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	40.26	24.04
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	5.98	4.36

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 2.67 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4.30 करोड़ रूपये) है।

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.30	3.67
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.37	0.63
3	सेवांत लाभ	-	--
4	शेयर आधारित भुगतान	-	--
	कुल योग	**2.67**	**4.30**

(iii) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा/संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	801.06	630.89
बीएचईएल	सेवा संविदा के साथ उपस्करों और स्पेयर की खरीद	559.77	255.41
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश का भुगतान	408.20	378.59
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्शी सेवा	20.45	18.47
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	112.64	-
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों की शिफ्टिंग, परामर्श प्रभार	72.17	84.88
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	पावर लाइन डायवर्जन	62.76	25.33
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	7.73	6.47
यू.पी. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	विद्युत प्रभार	4.46	3.67
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	सुरक्षा प्रभार	0.49	0.40
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत प्रभार	0.01	0.01
आरआईटीईएस	एसएलडीसी प्रभार	23.81	15.48
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड	परामर्शी सेवाएं	10.49	11.25
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड – एनटीपीसी एवं रिलायंस का संयुक्त उद्यम	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	3.97	0.94
आईओसीएल	जनशक्ति आपूर्ति	2.74	2.37
बीपीसीएल	ईधन की खरीद	0.91	0.62
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	0.60	12.14
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	अभिदान शुल्क	0.02	0.01
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीआई)	परामर्शिता	0.11	5.61
अन्य	विविध	5.54	2.34

(ग) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री /खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
टुस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख. वसूलनीय राशि		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.29	0.29
–सहायक कंपनी	2.07	2.11
–अन्य	0.33	शून्य
ग. देय राशि		
–रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं	19.98	16.22

(घ) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(अ) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ब) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 110 – समेकित वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष 2021–22 के दौरान, दिनांक 12.09.2020 को यूपीनेडा के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मैसर्स टुस्को लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें टीएचडीसी के पास 74% और यूपीनेडा के पास 26% के रूप में 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। इंड–एएस 110 और कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए, टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) का अनुपालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, और लेखाओं के संबंध में टिप्पणी अग्रलिखित शामिल हैं।

16. इंड एएस 112 – अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण – के अनुसार प्रकटीकरण

क) मैसर्स टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसी की एक सहायक कंपनी है, जिसे यूपीएनईडीए के साथ 74:26 (कंपनी:यूपीएनईडीए) के इक्विटी अनुपात में प्रमोट किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश भी इसके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

i) महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे

जब तक यूपीएनईडीए के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

ii) गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई)

सहायक कंपनी के लिए वित्तीय सूचना, जिसमें गैर–नियंत्रणीय हित शामिल है, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। मैसर्स टुस्को लिमिटेड के लिए प्रकट की गई राशि अंतर–कंपनी निर्मूलन से पहले है:

संक्षिप्त तुलनपत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टुस्को लिमिटेड	
	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
चालू परिसंपत्तियां	22.11	2.62
चालू देयताएं	10.70	6.55
निवल चालू परिसंपत्तियां / (देयताएं)	11.41	(3.93)
गैर–चालू परिसंपत्तियां	137.97	70.92
गैर–चालू देयताएं	112.22	48.28
निवल परिसंपत्तियां	37.16	18.71
संचयी एनसीआई	8.70	4.87

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
कुल आय	0.41	0.10
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(0.25)	(1.03)
अन्य विस्तृत आय / (व्यय)	-	-
एनसीआई को आबंटित लाभ / (हानि)	(0.06)	(0.27)
एनसीआई को संदत्त लाभांश	-	-

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि के लिए नदकी प्रवाह का संक्षिप्त विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	दुरुको लिमिटेड	
	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	45.16	50.44
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(85.26)	(63.33)
वित्तपोषण गतिवधियों से/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	37.54	8.23
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(2.56)	(4.66)

iii) **सहायक कंपनी में मूल कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	स्वामित्व हित		माइनोरिटी		कुल	
	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी छोड़कर	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार	14.80	(0.95)	5.20	(0.34)	20.00	(1.29)
अवधि के दौरान इक्विटी निवेश	14.80		3.90		18.70	
अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शेयर		(0.19)		(0.06)		(0.25)
स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव						
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	29.60	(1.14)	9.10	(0.40)	38.70	(1.54)

(ख) मैसर्स टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, को कंपनी और आरआरईसीएल के बीच 74:26 की इक्विटी साझेदारी के साथ आरआरईसीएल के साथ संवर्धित किया गया है। निगमन या रजिस्ट्रेशन का देश ही इसके प्रमुख व्यवसाय का स्थान है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इस सहायक कंपनी द्वारा कोई वित्तीय लेन–देन नहीं किया गया है।

- महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे

जब तक आरआरईसीएल के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी को कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

17. इंडएएस 33 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2022-23
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	629.61	923.73
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	672.91	894.01
डिनोमिनेटर रूप में प्रयोग किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या का भरित औसत	बेसिक : 36658817 बेसिक : 36658817	तनुकृत : 36658817 तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 171.75 171.75	 251.98 251.98
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	 183.55 183.55	 243.88 243.88
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹ 1000	₹ 1000

18 (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	145.72	183.05
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	(9.17)	6.29
कुल चालू कर व्यय (ख)	136.55	189.34

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2023 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 334.16 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2022 को 487.72 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 17.61 करोड़ रूपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 34.59 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

19. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

20. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) दिनांक 22.01.2021 को अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में किसी जारी परियोजना के क्रम में किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा, जो ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जाएगी। किसी जारी परियोजना के अलावा किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनूसची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी सांविधि के तहत अपेक्षित से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को अग्रेणीत किया जाएगा और अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली और नकदी में व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
i.	आरम्भिक अव्ययित / (अधिशेष) राशि	(0.97)	0.00
ii.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार व्यय की जाने वाली राशि	23.61	26.23
iii.	वर्ष के दौरान आरम्भिक अव्ययित/(अधिशेष) राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ के लिए विचारित राशि	(0.52)	0.00
iv.	वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा उपरोक्त (पप) में से व्यय किए जाने के लिए अनुमोदित राशि	23.09	26.23
v.	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	0.00	0.00
vi.	पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक व्यय को सेट–ऑफ करने बाद व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	23.09	26.23
vii.	वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	22.11	27.20
viii.	जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है	0.98	0.00
ix.	भविष्य में सेट–ऑफ किए जाने के लिए अंतिम (अधिशेष) राशि	(0.45)	(0.97)

टिप्पणी:–अनुवर्ती वर्ष में उपलब्ध सेट–ऑफ को, भावी वर्षों में इसके समायोजन में शामिल अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, विवेकपूर्ण मामले के रूप में किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

राशि ₹ करोड़ में

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
शून्य	शून्य	23.09	22.11	शून्य	0.98*	शून्य	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के लिए विभिन्न परियोजनाएं
(*) दिनांक 26.04.2023 को पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित							

(घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	22.11	0.00	22.11

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि –

राशि ₹ करोड़ में

क्र.स.	विवरण	नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	27.20	0.00	27.20

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सेवा–टीएचडीसी, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ–निरपेक्ष सोसायटी है, के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय-शीर्ष	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
1	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	2.88	6.13
2	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.34	10.09
3	महिला सशक्तिकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.22	0.25
4	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.62	1.68
5	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.72	2.21
6	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	-	0.10
7	खेलकूद का संवर्धन	0.06	0.32
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	4.00	4.05
9	अनुसूचित जाति का कल्याण	-	-
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2.38	1.03
11	आपदाएं	-	0.60
12	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.89	0.74
	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (1 से 12)	22.11	27.20
	जोड़ें: अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि	0.98	-
	स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित सीएसआर व्यय	23.09	27.20
	अधिशेष राशि के लिए अंत शेष	0.45	0.97

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 2.70 करोड़ रूपये (राजस्व–2.70 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 3.46 करोड़ रूपये) (राजस्व–3.46 करोड़ रूपये) व्यय किए हैं।

21. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2023 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	2022-23	2021-22
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	3.27	2.67
ii) उस पर ब्याज	-	-
ख एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	-	-
ग देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	-	-
घ प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	-	-
ड. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	-	-

22. एएस 116 - 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैव और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	85.68	13.59
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	49.27	74.36
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	11.04	7.32
–पट्टा देयताओं का भुगतान	13.05	9.59
अंत शेष	132.94	85.68
चालू	9.49	7.91
गैर–चालू	123.45	77.77

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

राशि ₹ करोड़ में

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
3 माह या कम	2.63	2.76
3–12 माह	9.83	8.31
1–2 वर्ष	13.88	12.31
2–5 वर्ष	29.42	24.27
5 वर्ष से अधिक	237.83	178.01
पट्टा देयताएं	293.59	225.66

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	18.50	18.49
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	11.04	7.32
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.26	1.94

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह		9.59
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.26	1.94

23. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों के वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 10.25 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 25.56 करोड़ रुपए) अधिक हो गया और इसे बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकालों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देयता, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथा अभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 9.65 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.91 करोड़ रूपये) अधिक हो गया है और इसे बहियों में दर्ज किया गया है।

(v) अन्य (असबाब/एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2023 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी -1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2006-08)
छूट की दर	7.40%	7.00%	6.75%	6.75%	7.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोजर) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि-वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देयता बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देयता भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम- यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिलाभ होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर- उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देयता बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता- मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण- वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी - 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.84}	6.69 {5.89}	1.00 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					
वर्तमान सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
लाभ का भुगतान	(19.85) {(20.49)}	(20.33) {(15.59)}	(5.96) {(6.34)}	(7.56) {(4.71)}	(1.79) {(2.34)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	8.52 {4.42}	(0.35) {0.22}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}

सारणी -3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (सीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	105.80 {95.51}	14.33 {14.26}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नही	लागू नही	लागू नही	96.15 {89.61}	लागू नही
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	96.15 {89.61}	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि				(7.01) {(3.29)}	
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	174.76 {183.38}	85.27 {76.88}	117.13 {118.64}	9.65 {5.91}	14.33 {14.26}

सारणी- 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	3.29 {3.95}	18.00 {13.66}	4.51 {4.23}	2.64 {2.61}	1.20 {1.13}
सेवा उपरांत लागत	-	-	-	-	0.00 {0.00}
ब्याज लागत	12.84 {12.82}	5.38 {4.47}	8.30 {7.83}	- {0.00}	1.00 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.90) {(2.89)}	5.34 {8.15}	(8.36) {(3.21)}	7.01 {3.29}	(0.35) {0.22}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	16.13 {16.77}	28.72 {26.28}	4.46 {8.85}	2.64 {2.61}	2.20 {2.09}

सारणी -5 संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि ₹ करोड़ में

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)		पीआरएमवी		अन्य	
	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.09)	(4.62)	(2.36)	(2.27)	(2.72)	(3)	(13.14)	(12.32)	(0.35)	(0.36)
0.50% की वृद्धि	4.30	4.86	2.52	2.41	2.86	3.14	14.10	12.54	0.37	0.37
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	0.81	1.02	2.53	2.41	2.87	3.14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की वृद्धि	(0.87)	(1.09)	(2.39)	(2.29)	(2.76)	(3.02)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14.36	12.62	0.15	0.16
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(13.71)	(12.38)	(0.14)	(0.16)

अन्य प्रकटीकरण

राशि ₹ करोड़ में

उपदान	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	174.76	183.38	189.99	191.01	178.93
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.13	16.77	17.97	19.68	19.35

राशि ₹ करोड़ में

अर्जित छुट्टी	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	85.27	76.88	66.18	56.07	43.04
बीमांकिक (लाभ/हानि)	5.34	8.15	6.26	11.60	11.38
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी केविवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	28.72	26.28	23.42	27.71	25.85

राशि ₹ करोड़ में

बीमारी (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	117.13	118.64	116.13	109.06	98.83
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(8.36)	(3.21)	(0.88)	0.83	1.78
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	4.46	8.85	11.18	13.00	12.79

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	105.80	95.51	87.30	79.85	70.02
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	7.01	3.29	1.34	2.76	3.85
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.64	2.61	2.95	3.07	6.94

अन्य असबाब भत्ताध्सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.33	14.26	14.29	12.63	12.43
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.20	2.09	3.19	2.14	5.16

24. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

25. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

राशि ₹ करोड़ में

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.17	0.17
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.12	0.07
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पिछले वर्ष के संबंध में शून्य रूपये (पिछले वर्ष से संबंधित 0.01 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

26. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023	31.03.2022
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	93.66	90.33
घटायें: ओवर ड्राफ्ट शेष, एस टी एल सहित	26	948.33	926.10
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(854.67)	(835.77)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

राशि ₹ करोड़ में

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2022-23	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	-	3665.88	-	
गैर–चालू उधारियाँ (बॉंड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	6653.98	-	10289.09	3635.11	**वृद्धि-** बांड – ₹1400.00 करोड, सावधि ऋण (बीओबी) ₹ 2225. 00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹ 384.24 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (बीओबी) – ₹125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹ 139.58 करोड़, सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, विश्व बैंक – ₹ 64.41 करोड़
उधारियां– चालू	426.63	-	386.14	(40.49)	**वृद्धि-,** विश्व बैंक (निवल) ₹ 22.58 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹ 45.14 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी) – ₹ 17.51 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) – ₹ 0.42 करोड़

राशि ₹ करोड़ में

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2022-23	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
पट्टा देयताएं	-	(13.05)	-	(13.05)	पट्टा देयता का भुगतान
भुगतान की गई वित्तीय लागत घटा पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी	-	882.52 (701.15)	-	(181.37)	लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित
अनुदान	-	24.00	-	24.00	
विलंबित भुगतान अधिभार	-	21.59	-	21.59	अन्य आय
गैर नियंत्रित हित से पूंजीगत अंशदान	-	3.83	-	3.83	
भुगतान किया गया लाभांश		(547.94)		(547.94)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				2901.68	

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

राशि ₹ करोड़ में

समूह में शामिल संस्था का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति - कुल देयताएं		समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	करोड़ रूपये में	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	करोड़ रूपये में	समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में	करोड़ रूपये में	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	करोड़ रूपये में
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड								
31 मार्च, 2023	99.92%	10427.65	100.01%	672.91	100%	(2.52)	100.01%	670.39
31 मार्च, 2022	99.95%	10305.20	100.03%	894.01	100%	2.14	100.05%	896.15
सहायक कंपनी								
टुस्को लिमिटेड								
31 मार्च, 2023	0.08%	8.70	-0.01%	(0.06)			0.01%	(0.06)
31 मार्च, 2022	0.05%	4.86	-0.03%	(0.26)			0.05%	(0.26)
कुल								
31 मार्च, 2023	100%	10436.35	100%	672.85	100%	(2.52)	100%	670.33
31 मार्च, 2022	100%	10310.06	100%	893.75	100%	2.14	100%	895.89

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 014335

दिनांकः 15.05.2023
स्थानः लखनऊ

फॉर्म एओसी-1

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम, 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग 'क': सहायक कंपनियां

राशि ₹ करोड़ में

1	सहायक कंपनी का नाम	टुस्को लिमिटेड
2	सहायक कंपनी के अधिग्रहण करने की तारीख	12.09.2020*
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2022 – 31.03.2023) के समान
4	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	35.00
6	आरक्षित एवं अधिशेष	2.16
7	कुल परिसंपत्तियां	160.08
8	कुल देयताएं	122.92
9	निवेश	0.00
10	टर्नओवर / अन्य आय	0.41
11	कुल व्यय	0.79
12	कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	(0.38)
13	कराधान के लिए प्रावधान	(0.13)
14	कराधान पश्चात् लाभ/(हानि)	(0.25)
15	प्रस्तावित लाभांश	0.00
16	शेयरधारिता का %	0.74

(*) निगमन की तारीख

भाग ''ख'' सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम

शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 026692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

ह0/–
आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सीए. एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

दिनांक: 15.05.2023
स्थान: लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ इसमें इसके बाद "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (जिन्हें इसमें इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, समूह के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणओं की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ–साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। नीचे दिए गए लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटक के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में लेखा परीक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है:

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं। सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सी ई आर सी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सी ई आर सी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। • उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
2.	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में धारक कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं: –लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। –प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। –विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। –प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। –जिन मामलों का प्रकटन नहीं किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। –प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से धारक कंपनी की वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1327.695 हेक्टेयर भूमि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

(ग) चालू परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए शेषों सहित व्यापार / अन्य प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिम आदि के खाते में शेषों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.24 (क) ऋण एवं अग्रिम और चालू देयताएं पुष्टि और समाधान के अध्यधीन हैं। वित्तीय विवरणों में पुष्टि और समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकने वाले समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित किए गए सहायक कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, 160.08 करोड़ रूपये की कुल परिसंपत्ति 0.41 करोड़ रूपये का कुल राजस्व और 0.004 करोड़ रूपये की राशि का निवल नकदी प्रवाह, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणओं में विचार किया गया है, दर्शाया गया है, के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और जहां तक सहायक कंपनी का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में यथाउल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है।

इस मामले पर हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों और हमारी लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और, यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त कार्रवाई करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की अपेक्षाओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

समूह में शामिल सभी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत अश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओ पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक ''क''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नही होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है–समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. समूह का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. क. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि को अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगाय:

ख. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और एसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि को अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा ।

ग. हमारे और सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं

जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है।

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

(क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में हितधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

vi. अकाउंटिंग साफ्टवेयर, जिसमं ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की रिकॉर्डिंग की सुविधा है, का उपयोग करते हुए लेखाबही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों, जो भारत में निगमित कंपनिया हैं, पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू होता है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं होती है।

2. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश''/''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3 (xxi) में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों, जिसके लिए सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, में शामिल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। तथापि, सहायक कंपनी की सीएआरओ रिपोर्ट के पैरा 1(x) के अनुसार, यह संसूचित किया गया था कि "पट्टे पर ली गई और वित्तीय विवरणों में उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट की गई अचल संपत्तियों के संबंध में, 3953.45 एकड़ भूमि के लिए 2675 पट्टा करार कंपनी के नाम पर है, तथापि किसी भी करार को कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित नहीं किया गया है।"

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545 सी

ह0/–

(सीए एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 15.05.2023

यूडीआईएन: 23014335BGXXFE8500

अनुलग्नक 'क'

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमने उसी तारीख को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (इसमें आगे "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनी (इसमें आगे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा की है

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित अन्य सहायक कंपनी के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया उनकी रिपोर्ट के 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में सहायक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा इस आक्षेप कि "कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने लेखाबही में पट्टा किराया के लिए भू–स्वामियों को संदत्त अग्रिमों के मिलान के लिए विद्यमान प्रणाली में महत्वपूर्ण कमजोरियां पाईं, चूंकि कंपनी ने पट्टा भुगतानों को भू–स्वामी–वार लेखांकित किया है, तथापि, देय पट्टा किराया और पट्टे के अग्रिम भुगतान को व्यक्तिगत भू–स्वामी बहीखाते में लेखांकित नहीं किया गया है।" तथापि, सहायक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने यह भी रिपोर्ट किया है कि "हमने कंपनी के 31 मार्च, 2023 तक के वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उपरोक्त अभिचिह्नित और वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।"के आधार पर की गई आपत्ति के सिवाय सभी महत्वपूर्ण संबंधों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

अन्य मामले

धारक कंपनी, जहां तक यह सहायक कंपनी से संबंधित है, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह0/–

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं. 001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 014335

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 15.05.2023

DGA ()E/R/01-150/AC-THDC/CPS/2023-24/157

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

सत्यमेव जयते

Dated: 31.07.2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के **CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS** पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 15.05.2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है किंतु टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणियां या पूरक करने की आवश्यकता उत्पन्न होती हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

के लिए एवं उनकी ओर से

ह०/-

(संजय कु. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.07.2023

टिहरी डैम का एरियल दृश्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

Schedule-A Mini Ratna PSU
CIN : U45203UR1988GOI009822
कारपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश-249201
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bypass Road, Rishikesh - 249201
वेबसाईट/ Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by Continental Advertising Services